सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 1 राँची, बुधवार 14 पौष 1937 (श०) / 4 जनवरी 2017 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 1- 92

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

27 सितम्बर, 2016

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या 1480, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 में आंशिक संशोधन के संबंध में ।

विभागीय संकल्प संख्या 1480, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 में निम्नांकित संशोधन किये जाते है ।

संख्या- खा.प्र. 01/ज.वि.प्र./रा.का./13-1/2016 – 3847-- कंडिका-5 में अंकित इन ''नये लाभुकों के चयन का आधार सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना-2011 होगी । सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना-2011 के डाटा बेस पर अपवर्जित एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित परिवारों को छोड़कर शेष बचे परिवारों की सूची संबंधित जिला को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला स्तर पर उक्त सूची में आवेदन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित किये गये परिवारों को चिन्हित किया जायेगा।'' को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर निम्नांकित प्रावधान का प्रतिस्थापन किया जाता है:- ''इन नये लाभुकों का चयन लाभुकों से स्व घोषणा पत्र -सह- पारिवारिक विवरणी प्राप्त करते हुए किया जायेगा।''

2. लाभुकों को आवेदन के साथ अंचल कार्यालय से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अथवा अपने आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

3. कंडिका-6 के प्रथम पंक्ति से ''सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना'' शब्द को ''नये सिरे से प्राप्त आवेदन'' से प्रतिस्थापित किया जाता है ।

4. विभागीय संकल्प संख्या 1480, दिनांक 18 अप्रैल, 2016 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी ।

5. उक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 23 सितम्बर, 2016 की बैठक की मद संख्या- 15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना
18 अप्रैल, 2016 ई० ।

संख्या-14/ए०-/1069-2013-2156/डब्लु०पी०(एस०)सं०-7767/2013-- महेश राम पासवान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2015 की कंडीका-21 में पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-4594, दिनांक 6 सितम्बर, 2013 जिसके द्वारा वादी श्री महेश राम पासवान सेवा निवृत पुलिस उपाधीक्षक की पेंशन राशि में से 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि की कटौती अगले 05 (पाँच) वर्षों तक करने का आदेश संसूचित है, को एतद द्वारा निरस्त किय जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार उपाध्याय,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

21 जुलाई, 2016 ई० ।

संख्या-07/-हो०गा०(आरोप)-09/2015/3528-- चूँकी झारखण्ड के राज्पाल को यह विश्वास करने का कारण है कि **श्री रवि कुमार कुजूर, जिला समादेष्टा**, **गिरिडीह** (अतिरिक्त प्रभार, जिला समादेष्टा, कोडरमा) द्वारा अपने कोडरमा के पदस्थापन काल में गृह रक्षकों को ड्यूटी आवंटित करने के क्रम में अपने पदीय दायित्यों का सम्यक निर्वहन नहीं किया गया है, जैसा कि संलग्न प्रपत्र-क में प्रतिवेदित है, आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः **श्री कुजूर** के विरूद्ध प्रपत्र-क में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम-16 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तद्नुतार एतद् द्वारा **श्री कुजूर** को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. प्रस्तुत मामले में **श्री कुजूर** के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत भा०प्र०से०, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेसन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं ।

5. **श्री कुजूर** के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु **श्री केदार चौधरी. अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधंन विभाग, झारखण्ड, राँची** को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

17 जून, 2016 ई० ।

संख्या-13/एम2-109/2008-3544–सी० श्रीमती निर्मल कौर, भा०पु०से० (1983), तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड राज्य विधुत पर्षद, राँची द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2008 को श्री बी०भी० राव, माननीय कैट के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार किया गया था । माननीय कैट के सदस्य से किए गए दुर्व्यवहार के संबंध में डोरंडा थाना कांड सं०-43/2008 दर्ज है । तत्संबंधी मामले में माननीय कैट द्वारा दिनांक 19 मई, 2011 को पारित आदेश के विरूद्ध माननीय, सर्वोच्च न्यायलय में श्रीमती निर्मल कौर, भा०पु०से० द्वारा दायर अपील वाद (Criminal Appeal) सी०ए०सं०-1332/2011, दिनांक 11 फरवरी, 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया है-

"we hereby clarify that any order passed by this court would not prevent the state of Jharkhand from taking appropriate action against the appellant.

We are sure that the State must have taken some disciplinary action against the appellant and ----------

In the process of taking disciplinary action or any other action, the state of Jharkhand as well as the Union of India will coordinate with each other and take appropriate action at an early date.

तदुपरांत राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्रीमती निर्मल कौर, भा०पु०से० (1983) तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड राज्य, विद्धुत पर्षद, राँची सम्प्रति पुलिस महानिदेशक के विरूद्ध आखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमाली 1969 के नियम-06 (1) (i) में वर्णित निन्दन की सजा अधिरोपित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

20 जून, 2016 ई० ।

संख्या-12/नि०-1001/2016/3545/सी०,दिनांक 17 जून, 2016 की रात्रि में श्री उमेश कच्छप, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, तोपचाँची, धनबाद की संदेहास्पद स्तिथि में मृत्यु हो गई है । उनकी मृत्यु के कारणों की जाँच हेतु एक द्विसदस्यीय जाँच समिति निम्नवत् गठित की जाती हैः-

i. **श्री सुरेन्द्र सिंग मीणा**, भा०पु०से०, -अध्यक्ष
सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ii. **श्री अजय कुमार सिंह**, भा०पु०से०, -सदस्य
अपर पुलिस महानिदेशक,
अपराध अनुसन्धान विभाग, झारखण्ड राँची।

2. समिति विषयांकित मामले की पूरी जाँच कर एक सुस्पष्ट एवं विस्तृत जाँच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर राज्य सरकार को समर्पित करेगी । समिति उन कारणों की विशेष रूप से जाँच करेगी, जिसके संदर्भ में श्री कच्छप की मृत्यु हुई है ।

3. श्री सुरेन्द्र कुमार झा, वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद समिति के प्रतिवेदन पूर्ण होने तक विषयांकित वाद से पृथक रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एन०एन० पाण्डेय,
अपर मुख्य सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

23 जून, 2016 ई० ।

संख्या-13/ए०-09/2016-3645-- **श्री हरिनारायण राम महतो** (रा०पु०से०) तत्कालीन समादेष्टा, जैप-09, साहेबगंज सम्प्रति प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जंगलवारफेयर स्कूल, नेतरहाट को झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-09, साहेबगंज में अनुचर (धोबी, नाई, जलवाहक, रसोईया) स्तरीय पदों पर बहाली में बरती गई अनियमितता, भ्रष्टाचार्य एवं संदिग्ध आचरण के प्रथम दृष्ट्या प्रमाणिक आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-09 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है ।

2. निबंधन अवधि में श्री महली को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-96 एवं ऊपर वर्णित नियमावली के नियम-10 के अधीन अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

3. निबंधन अवधि में श्री महली का मुख्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक, पलामू क्षेत्र, मेदनीनगर, पलामू का कार्यालय होगा ।

4. आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
सरकार के संजुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

23 जून, 2016 ई० ।

संख्या-14/ए०-09/2016/3646-- झारखण्ड सशस्त्र पुलिस-09, साहेबगंज में अनुचर (धोबी, नाई, जलवाहक, रसोईया) स्तरीय पदों पर बहाली हेतु विज्ञापन संख्या-01/2015 प्रकाशित की गई।

चयन पार्षद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री हरिनारायण राम महली रा०पु०से०, समादेष्टा, जैप-09 एवं अन्य सदस्यों के द्वारा यह बहाली झा०स०पु०-10 परिसर होटवार, राँची में की गई ।

समाचार पत्रों में इस बहाली में अनियमितता एवं भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने से संबंधित प्रकाशित समाचारों के आलोक में इसकी जाँच अपर पुलिस महानिदेशक, झ०स०पु० के स्तर से गठित त्रि-सदस्यीय समिति से कराई गई । त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के स्तर से की गई । समीक्षोपरांत पुलिस मुख्यालय द्वारा ऊपर वर्णित बहाली को रद्द करने की अनुशंसा की गई ।

सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा विज्ञापन संख्या-01/2015 के द्वारा विज्ञापित अनुचर (धोबी, नाई, जलवाहक, रसोईया) स्तरीय पदों पर हुई नियोक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया गया है ।

2. राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विज्ञापन संख्या-01/2015 के द्वारा विज्ञापित अनुचर (धोबी, नाई, जलवाहक, रसोईया) स्तरीय पदों पर हुई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-(अस्पष्ट),
सरकार के संजुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना
29 जुलाई, 2016 ई० ।

संख्या-08/न्याय(03)01/2015-3714/W.P(PIL)No.5251/2013-- सतनाम सिंह गंभीर बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 4 मई, 2016 को माननीय झारखण्ड राज्य न्यायालय, राँची द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में माननीय न्यायाधीश (से०नि०) श्री डी०पि० सिंह की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया जाता है ।

2. यह आयोग माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आलोक में -

i. 1984 सिक्ख दंगा के पीड़ित को अधिसूचना/संकल्प के अनुरूप अनुग्रह अनुदान का भुगतान सुनिश्चित करेगी ।

ii. दंगा पीड़ित एवं उसके आश्रित की पहचान करेगी तथा इस संबंध में सरकार को आवश्यक सुझाव देगी ।

iii. लंबित आपराधिक वादों की अद्धन स्तिथि संबंधित पुलिस अधीक्षक एवं माननीय न्यायालय से प्राप्त करेगी तथा सरकार को उचित अनुशंसा करेगी ।

3. एक सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष को रू०-1,00,000/- (एक लाख रूपये) प्रतिमाह मनदेय के रुप में प्रदान की जायेगी । इसके अतिरिक्त उन्हें कोई अन्य लाभ देय नहीं होगा । आयोग को डिक्टेशन, टाइपिंग, पोस्टिंग (Postage) में वास्तविक व्यय भुगतेय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शेखर जमुआर,
सरकार के उप सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना
14 जुलाई, 2016 ई० ।

1. **संख्या-12/-8005/2014-3880-- श्री मनीष टोप्पो**, पुलिस उपाधीक्षक, आई०आर०बी०-05, गुमला, कैम्प-राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. **संख्या -12/-8005/2014-3881-- श्री कुमार बैंकटेश्वर रमण**, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सराइकेला को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बुंडू, राँची के पद पर पदस्थापित किय जाता है।

3. **संख्या -12/-8005/2014-3882-- श्री पवन कुमार**, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू, राँची अगले आदेश तक के लिए अनुमंडल पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में अपना योगदान समर्पित करेंगे ।

4. **संख्या -12/-8005/2014-3883-- श्री विनोद रवानी**, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महुआटांड़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, झारखण्ड राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

5. **संख्या -12/-8005/2014-3884-- श्री ओम प्रकाश तिवारी**, पुलिस उपाधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, झारखण्ड राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महुआटांड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

6. **संख्या -12/-8005/2014-3885-- श्री सुमित कुमार**, पुलिस उपाधीक्षक, साइबर थाना, झारखण्ड राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सराइकेला के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

7. **संख्या -12/-8005/2014-3886-- श्रीमती श्रद्धा केरकेट्टा**, पुलिस उपाधीक्षक, झा० स० पु०-10, महिला बटालियन, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, साईबर थाना, झारखण्ड राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

8. **संख्या -12/-8005/2014-3887-- श्रीमती पूनम मिंज**, पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, सी० सी० आर०, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

9. **संख्या -12/-8005/2014-3888-- श्री मनीष कुमार**, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगरउँटारी, गढ़वा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बाघमारा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

10. **संख्या -12/-8005/2014-3889-- श्री राजकुमार मेहता**, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेरमो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

11. **संख्या -12/-8005/2014-3890-- श्री नीरज कुमार**, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेरमो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगरउँटारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

3 अगस्त, 2016 ई० ।

संख्या-14/ए0-09/2016-4275/डब्लू०पी०एस० सं०-3651/2016-- हरिनारायण राम महली बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2016 के आलोक में, एतद् द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-3645, दिनांक 23 जून, 2016 की कंडिका-03, में आंशिक संशोधन करते हुए निलंबन अवधि में श्री महली का मुख्यालय, पुलिस उपमहानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानगपुर क्षेत्र, राँची का कार्यालय निर्धारित किया जाता है ।

2. उपरोक्त संशोधन के अतिरिक्त अधिसूचना सं०-3645, दिनांक 23 जून, 2016 के शेष निर्देश यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-07/विविध-45/2016-4406-- श्री डी०के० पाण्डेय, भा०पु०से०, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, झारखण्ड, राँची गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा के पद पर कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

आदेश

24 अगस्त, 2016

संख्या-13/डी०-1002/2007/4603/सी०-- श्री आशीष बत्रा, भा०पु०से० (1997), पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10,11 एवं 20 के तहत दिनांक 16 सितम्बर, 2011 से 19 दिसम्बर, 2011 तक कुल 95 (पंचानबे) दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम लखन राम,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2016 ई० ।

1. **संख्या-13/पी०-01-8002/2013(खंड)-4864/सी०-- श्री देव बिहारी शर्मा**, भा०पु०से० (1999), पुलिस उपमहानिरीक्षक, दुमका को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहनिरीक्षक, जंगल वारफेयर स्कूल, नेतरहाट के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. **संख्या-13/पी०-01-8002/2013(खंड)-4865/सी०-- श्री हेमंत टोप्पो**, भा०पु०से० (2001), पुलिस उपमहानिरीक्षक, जंगल वारफेयर स्कूल नेतरहाट को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपमहनिरीक्षक, एस०सी०आर०बी०, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

3. **संख्या-13/पी०-01-8002/2013(खंड)-4866/सी०-- श्री अखिलेश कुमार झा**, भा०पु०से० (2003), प्रभारी पुलिस उपमहानिरीक्षक, पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान में प्रभारी पुलिस उपमहनिरीक्षक, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

4. **संख्या-13/पी०-01-8002/2013(खंड)-4867/सी०-- श्री विपुल शुक्ला**, भा०पु०से० (2003), पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड राँची के स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपने ही वेतनमान् में प्रभारी पुलिस उपमहनिरीक्षक, पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम लखन राम,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना
9 सितम्बर, 2016 ई० ।

1. **संख्या-12/पी०-8005/2014-4889-- श्री अमन कुमार**, भा०पु०से० (2014), परीक्ष्यमान, जिला-पलामू को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चक्रधरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
2. **संख्या-12/पी०-8005/2014-4890-- श्री अजय केरकेट्टा**, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, चक्रधरपुर, को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, पटमदा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
3. **संख्या-12/पी०-8005/2014-4891-- श्री अमित कुमार सिंह**, पुलिस उपाधीक्षक, पटमदा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
4. **संख्या-12/पी०-8005/2014-4892-- श्री कौशर अली**, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सिमडेगा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उपाधीक्षक, एस०टी०एफ० (जे०जे०), राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-12/पी०5-1047/2014 (खंड)-4949-- पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर की कोटि से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा ओयाग, राँची की अध्यक्षता में सम्पन्न चयन समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारियों को राज्य पुलिस सेवा के मूल कोटि के पद (पुलिस उपाधीक्षक) पर बेतनमान् PB-II.9300.34800, ग्रेट वेतन रू० 5400/- में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता हैः-

क्रं०सं०	पुलिस निरीक्षक/परिचारी प्रवर का नाम	जन्म तिथि	कोटि
1)	श्री सिरिल कुमार मराण्डी	08.07.1962	अनु०ज०जा०
2)	श्री प्रमोद कुमार मिश्र	02.02.1969	अनारक्षित
3)	श्री ललन प्रसाद	16.02.1960	अनारक्षित
4)	श्री महेश कुमार सिंह	30.12.1958	अनारक्षित
5)	श्री विजय कुमार सिंह	06.01.1959	अनारक्षित
6)	श्री ललन ठाकुर	03.11.1958	अनारक्षित
7)	श्री पृथ्वीनाथ तिवारी	06.01.1960	अनारक्षित
8)	श्री सकलदेव राम	28.02.1959	अनारक्षित
9)	श्री इन्द्रमणि चैधरी	20.11.1958	अनारक्षित
10)	श्री राम मनोहर शर्मा	30.01.1961	अनारक्षित
11)	श्री अरविन्द कुमार सिन्हा	05.01.1958	अनारक्षित
12)	श्री मुमताज अली	02.05.1958	अनारक्षित
13)	श्री विष्णु रजक	21.11.1958	अनु० जाति
14)	श्री दिनेश पासवान	15.11.1956	अनु० जाति
15)	श्री कृष्ण कुमार महतो	01.11.1964	अनारक्षित
16)	श्री कमलेश सिंह	12.02.1967	अनारक्षित
17)	श्री अवध कुमार यादव	10.04.1968	अनारक्षित
18)	श्री बबन सिंह	02.09.1961	अनारक्षित
19)	श्री रविन्द्र प्रसाद	20.01.1959	अनारक्षित
20)	श्री तुषार कुमार झा	01.01.1959	अनारक्षित

21)	श्री अनिल कुमार सिंह	07.02.1958	अनारक्षित
22)	श्री रफायल मिंज	21.08.1957	अनु०ज०जा०
23)	श्री जय प्रकाश सिंह	05.10.1967	अनारक्षित
24)	श्री राजेन्द्र कुमार दूबे	15.02.1969	अनारक्षित
25)	श्री अनिल कुमार सिंह	04.12.1971	अनारक्षित
26)	श्री सुधिर कुमार	15.10.1968	अनारक्षित
27)	श्री अमरनाथ	26.01.1970	अनारक्षित
28)	श्री नीरज कुमार सिंह	16.01.1968	अनारक्षित
29)	श्री भोला प्रसाद सिंह	20.06.1971	अनारक्षित
30)	श्री राजेन्द्र सिंह	05.01.1961	अनारक्षित
31)	श्री विजय कुमार सिंह	23.06.1957	अनारक्षित
32)	श्री मनोज कुमार	27.11.1957	अनारक्षित
33)	श्री सूर्य कुमार सिंह	05.01.1960	अनारक्षित
34)	श्री पाण्डेय अजय कुमार	04.01.1959	अनारक्षित
35)	श्री नवीन कुमार लकड़ा	03.01.1964	अनु०ज०जा०
36)	श्री मिखाईल तिग्गा	02.08.1959	अनु०ज०जा०
37)	श्री बन्धना बाखला	14.12.1958	अनु०ज०जा०

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

20 सितम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-12/पी०-05-1048/2014/5000-- राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की मेधा क्रम के अनुसार अंतिम वरीयता सूचि (यथा स्थिति 1 जनवरी, 2016) प्रकाशित की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबु इमरान,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-12/पी0-01-8005/2012/5061-- श्री जयदीप लकड़ा, पुलिस उपाधीक्षक का परीक्ष्यमान अवधि राज्य पुलिस सेवा नियमावली, 2012 के अध्याय-05, कंडिका-12 के तहत दिनांक 8 सितम्बर, 2015 से 17 जनवरी, 2016 तक विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

शुद्धि पत्र

23 सितम्बर, 2016 ई० ।

संख्या-12/पी०-05-1047/2014-5076-- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाद के अधिसूचना सं०-4949, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 में क्रम सं०-06 में अंकित नाम श्री ललन ठाकुर के स्थान पर श्री ललन कुमार ठाकुर पढ़ा जाय ।

इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2016 ई० ।

1. **संख्या-12/एम-02-140/2012-5192-- श्री जियाउल हक**, उप-समादेष्टा, केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल, सम्प्रति झारखण्ड राज्य में अनुदेशक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची के रूप में प्रतिनियुक्त की सेवा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 (अप०) के प्रभाव से पैतृक संगठन को वापस की जा सकती है ।

2. **संख्या-12/एम-02-140/2012-5193-- श्री राजू कुमार सिंह**, उप-समादेष्टा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सम्प्रति झारखण्ड राज्य में अनुदेशक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची के रूप में प्रतिनियुक्त की सेवा दिनांक 30 सितम्बर, 2016 (अप०) के प्रभाव से पैतृक संगठन को वापस की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
राजेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2016

संख्या-कार्मिक-14/14/2700/वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण कि जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि श्री निजामुद्दीन अंसारी,पूर्व० स०वि०स० को कारावास कि सजा दिए जाने संबंधी सूचना द्वितीय अनुसूची के प्रपत्र-ख में सभा सचिवालय को उपलब्ध नहीं कराया गया | इससे संबंधी न्यायधीश,ए०पी०पी०,उपायुक्त एवं गृह विभाग के पदाधिकारियों कि संलिप्ता कि जाँच कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अनुशंसा प्राप्त करने के निमित्त सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-125, दिनांक 19 जनवरी, 2016 द्वारा गठित त्रिसदसीय जाँच समिति कि अवधि,अधिसूचना संख्या-846, दिनांक 21 अप्रैल, 2016,1495, 16 जून, 2016 एवं अधिसूचना संख्या- 2452, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 के क्रम में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक विस्तारित की जाती है |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,
संजय कुमार,
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,राँची |

अधिसूचना

25 नवम्बर, 2016

संख्या-01 स्था०-133/2015-2704/वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण कि जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्री धनेश्वर राणा,संयुक्त सचिव,झारखण्ड विधान सभा राँची,को झारखण्ड विधान सभा के विधाई शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग का नोडल एवं लिंक (सम्पर्क) पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है |

(2) सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-2520, दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को इस हद तक संशोधित समझा जाय |

माननीय अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,
हरेन्द्र कुमार सह,
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2016

संख्या-वि०स०वि०-27/2016-3318/वि०स०-- झारखण्ड विधान सभा कि अधिसूचना संख्या-27/2016-3047,दिनांक 6 अक्टूबर, 2016 के क्रम में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा कि षष्ठ (मानसून) सत्र में दिनांक 28 जुलाई, 2016 को पारित प्रस्ताव के आलोक में "झारखण्ड संपत्ति विनाश एवं क्षति निवारण विधेयक, 2016"पर विचार के लिए झारखण्ड विधान सभा कि प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-72 के अधीन गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 2016 तक विस्तारित किया जाता है |

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2016 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-38/2016- 3519 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापति हुआ, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है । प्रकाशित करें।

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) विधेयक 2016

[वि०स०वि०-23/2016]

विधि विभाग

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 (संशोधन) विधेयक 2016

विषय सूची

धारा।

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

(2) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 में संशोधन।

(3) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49(1) एवं 49 (2) में संशोधन।

(4) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 क के परन्तुक-I में संशोधन एवं परन्तुक-II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं III का विलोपन।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016

(प्रारूप)

<u>प्रस्तावना</u>

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-21, धारा-49 (1) एवं 49 (2) तथा धारा 71(क) के परन्तुक-I में संशोधन तथा धारा 71 क के परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं III के विलोपन हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-

i. यह अधिनियम ''छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016'' कहलायेगा,

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में (संथाल परगना प्रमण्डल को छोड़कर) होगा,

iii. यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा- 21 में संशोधन:-

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 में 21 (ख) का अन्तःस्थापनः- उक्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 (क) के बाद निम्नलिखित धारा 21 (ख) अंतःस्थापित होगीः-

धारा 21 (ख):-गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति :

(i) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि के गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे उपयोगों को अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी जो खण्ड (i) के अधीन विरचित नियमों के तहत प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित **मानक दर** के गुणक में

होगा। किन्तु मानक दर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मानक दर, इसकी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा।

परन्तु :-

(क) अधिनियम की धारा 21 (2) (क), 21 (2) (ख), 21 (2) (ग) तथा 21-क के अधीन यथा अनुमत भूमि के उपयोगों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा ।

(ख) नगरपालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैरकृषि क्रियाकलापों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा । उपर्युक्त शर्तों के अलावे वैसी भूमि पर गैर कृषि लगान उद्गृहीत किया जायेगा, जिनका उपयोग नगरपालिका/नगर निगम क्षेत्रों के भीतर या बाहर गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है परन्तु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक), स्वत्व एवं हित इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के संगत प्रावधानों के तहत पूर्व की भाँति बना रहेगा ।

(ग) इस संशोधन की अधिनियमिति से पूर्व यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग इस प्रयोजनार्थ खंड (i) के अधीन विरचित नियमों के अनुसार अधिसूचित प्रयोजनों के लिए कर रहा है तो वह रैयत ऐसी भूमि का निर्बाध उपयोग करता रहेगा, किन्तु वह गैरकृषि लगान निर्धारण हेतु इस संशोधन के 90 दिनों के भीतर एतदर्थ प्राधिकृत संबद्ध राजस्व प्राधिकारी के पास आवेदन करने को बाध्य होगा ।

परन्तु यह और कि इस संशोधन के अधिनियमिति के बाद यदि रैयत लगान के निर्धारण के लिए नियत समय के भीतर संबंधित राजस्व पदाधिकारी के पास आवेदन नहीं करता है तो इसके लिए प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी स्वप्रेरणा से गैरकृषि लगान का आकलन एवं निर्धारण करेगा ।

3. धारा- 49(1) में संशोधन:-

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 (1) में 49 (1) (ग) अन्तःस्थापन और धारा 49 (2) में संशोधन, जो वर्तमान में निम्न प्रकार है :-

"49 - कतिपय प्रयोजनार्थ अधिभोगी जोत या भूइहरी भूधृति का अन्तरण":-

1) धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूइहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा 48 में निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगाः-

(क) किसी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग या किसी अन्य प्रयोजनार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनुषंगिक होने या किसी वैसे प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग अथवा आवश्यकता के आकलन की घोषणा करे, की दशा में ।

(ख) खनन के प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग या किसी अन्य प्रयोजनार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुषंगिक होने अथवा किसी वैसे प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग एवं आवश्यकता का आकलन की घोषणा करे, की दशा में ।

2) ऐसे मामले में अंतरिती इस प्रकार अंतरित भूमि का उपयोग उसी प्रयोजनार्थ करेगा जिसके लिए भूमि अंतरित की गयी है। किन्ही अन्य प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

विद्यमान छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 (1) में धारा 49 (1) (ग) का अन्तःस्थापन और धारा-49 (2) में संशोधन के पश्चात दोनों को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगा:-

"49 - कतिपय प्रयोजनार्थ अधिभोगी जोत या भूइहरी भूधृति का अन्तरण" :-

1) धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूइहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा 48 में निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयेजनों के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगाः-

(क) किसी औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग या किसी अन्य प्रयोजनार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अनुषंगिक होने या किसी वैसे प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग अथवा आवश्यकता के आकलन की घोषणा करे, की दशा में ।

(ख) खनन के प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग या किसी अन्य प्रयोजनार्थ जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुषंगिक होने अथवा किसी वैसे प्रयोजनार्थ भूमि के उपयोग एवं आवश्यकता का आकलन की घोषणा करे, की दशा में ।

धारा-49 (1) (ग) - धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूईहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा-48 में निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगा:- सरकारी प्रयोजन हेतु सामाजिक, विकासोन्मुखी एवं जन कल्याणकारी आधारभूत संरचनाओं के निमित्त अधिसूचित की जानेवाली परियोजनाओं जैसे रेखीय परियोजनाओं यथा-सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पाईप्स एवं जनोपयोगी सेवा, यथा-पाईप लाईन्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, आँगनबाड़ी के लिए ।

परन्तु हस्तांतरित की जानेवाली भूमि का मूल्य वर्तमान भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अनुमत भूमि का मूल्य एवं अन्य देय लाभ से कम नहीं होगा ।

धारा-49 (2) - धारा 49 (1) की उपधारा (क) (ख) (ग) के अन्तर्गत जोत अन्तरण की दशा में अन्तरिती इस तरह से अन्तरित भूमि-जिस प्रयोजनार्थ हस्तांतरित की गई हो-से भिन्न अन्य उपयोग के लिए हकदार नहीं होगा एवं जिस प्रयोजनार्थ भूमि हस्तांतरित की गयी हो यदि उसके लिए उसका उपयोग हस्तान्तरण की तिथि से 5 वर्षों के अन्तराल के अन्दर नहीं होने पर वह मूल रैयतों/उसके/उनके विधिक उत्तराधिकारियों को पूर्व में भूमि/जोत, हस्तान्तरण के निमित्त किये गए भुगतान को लौटाए बिना वापस हो जायेगी ।

4. धारा- 71(क) में संशोधन:-

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक I में संशोधन, परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं परन्तुक III का विलोपन, जो वर्तमान में निम्न प्रकार है :-

71 क अवैध रूप से अंतरित भूमि पर अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों का कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति:-

यदि किसी समय उपायुक्त के संज्ञान में यह आए कि किसी रैयत (या मुण्डारी खूँटकट्टीदार या भुइहरी) की, जो अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है, की भूमि का अंतरण धारा-46 या धारा-48

या धारा-240, या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करके या (वादों में कपट दुरभिसंधी द्वारा अभिप्राप्त डिग्रियों सहित) किसी कपटपूर्ण ढंग से किया गया है तो वह अन्तरिती को, जो बेदखल किया जाने वाला है, सफाई देने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, और उस विषय में आवश्यक जाँच कर लेने के बाद, अन्तरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि से बेदखल कर सकेगा और वह भूमि अन्तरक या उसके उत्तराधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकेगा या, अंतरक या उसके उत्तराधिकारी के उपलब्ध न होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत न होने की दशा में, उस भूमि को अनुसूचित जन-जाति के किसी दूसरे रैयत के साथ, परित्यक्त जोत के निबटाव की ग्राम रूढ़ि के अनुसार पुनर्बन्दोबस्त कर सकेगा,

"परन्तु यह कि अन्तरिती ने अन्तरण की तारीख से 30 वर्ष के भीतर, ऐसे जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन या संरचना का निर्माण कर लिया हो तो उपायुक्त, यदि अन्तरक उसका मूल्य चुकाने को इच्छुक न हो तो अन्तरिती को आदेश देगा कि वह आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर या ऐसा विस्तारित समय, जो उपायुक्त अनुमति दे, जो आदेश पारित होने के दो वर्षों से अधिक न हो, उस संरचना को हटा लें । ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन या संरचना को हटा दे सकेगा ।

परन्तु यह और कि जब उपायुक्त का समाधान हो जाए कि अंतरिती ने ऐसे जोत या उसके किसी भाग पर बिहार अधिसूचित क्षेत्र विनियमन, 1969 के प्रवृत्त होने के पूर्व ठोस संरचना या भवन का निर्माण किया है तो वह अधिनियम में कोई अन्य उपबंध होते हुए भी ऐसे अन्तरण को विधिमान्य कर सकता है, जहाँ अंतरिती अंतरक को यथास्थिति, कोई वैकल्पिक जोत (भूमि) या उसका कोई भाग आस-पास की भूमि मूल्य के समतुल्य मूल्य पर उपलब्ध कराता है, अन्यथा अंतरक के पुनर्वास हेतु उपायुक्त द्वारा निर्धारित यथेष्ट प्रतिकर का भुगतान करता है।

परन्तु यह भी कि यदि जाँच के बाद उपायुक्त का समाधान हो जाए कि अन्तरिती ने प्रतिकूल कब्जा द्वारा भूमि पर, स्वत्व अर्जित किया है तथा यह कि अन्तरित भूमि को प्रत्यावर्तित या पुनर्बन्दोबस्त कर देना चाहिए तो वह यथास्थिति, अंतरक या उसके उत्तराधिकारी या अन्य रैयत से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपायुक्त के पास उतनी धन राशि जमा कर दे जितनी वह (उपायुक्त), यथास्थिति, उस रकम को, जिसके लिए वह भूमि अन्तरित की गई थी, अथवा उस भूमि के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए अवधारित करे, तथा भूमि में किए गए सुधारों के लिए प्रतिकर की ऐसी रकम भी, जो उपायुक्त उचित और सम्यक समझे।

<u>स्पष्टीकरण-I</u>

इस धारा में 'ठोस संरचना या भवन' से अभिप्रेत है वैसी संरचना या भवन जिसका मूल्य जाँच प्रक्रिया शुरू होने के वक्त उपायुक्त के द्वारा मूल्य 10,000/-से अधिक निर्धारित किया गया हो। किन्तु इसमें संरचना या भवन की किसी ऐसी सामग्री का मूल्य शामिल नहीं है जिसे उस संरचना को मूल रूप में प्रभावित किए बिना हटाया जा सके।

स्पष्टीकरण-II

भूईहरि या मुण्डारी, खूँटकट्टीदार, जो इस अधिनियम की धारा-18 के प्रावधानों के अधीन अधिभोगी रैयत माने गए हैं, को इस धारा के प्रयोजनार्थ भी रैयत माना जायेगा।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक I में संशोधन, परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं परन्तुक III का विलोपन के उपरान्त उसे निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाएगाः-

अवैध रूप से अंतरित भूमि पर अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों का कब्जा प्रत्यावर्तित करने की शक्ति :-

यदि किसी समय उपायुक्त के संज्ञान में यह आए कि किसी रैयत (या मुण्डारी, खूँटकट्टीदार या भूईहरी), जो अनुसूचित जन-जाति का सदस्य है, की भूमि का अंतरण धारा-46 (या धारा-48 या धारा-240) या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन कर छलपूर्वक, कपट एवं दुरभिसंधि द्वारा वादों में प्राप्त डिक्रीयों सहित किया गया है तो वह अन्तरिती को, जो बेदखल किया जाने वाला है, सफाई देने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, और उस विषय में आवश्यक जाँच कर लेने के बाद, अन्तरिती को प्रतिकर का भुगतान किए बिना ऐसी भूमि से बेदखल कर सकेगा और वह भूमि अन्तरक या उसके उत्तराधिकारी को प्रत्यावर्तित कर सकेगा या, अंतरक या उसके उत्तराधिकारी के उपलब्ध न होने या ऐसे प्रत्यावर्तन के लिए सहमत न होने की दशा में, परित्यक्त जोत के निबटाव की ग्रामीण परम्परा के अनुसार उस भूमि को अनुसूचित जन-जाति के किसी दूसरे रैयत को पुनर्बन्दोबस्त कर सकेगा,

परन्तु यदि अन्तरिती ने अन्तरण की तारीख से तीस वर्ष के भीतर, ऐसे जोत या उसके किसी भाग पर किसी भवन या संरचना का निर्माण कर लिया हो तो उपायुक्त, यदि अन्तरक का

मूल्य चुकाने को इच्छुक न हो तो, अन्तरिती को आदेश देगा कि वह आदेश की तारीख से 6 (छः) महीने के भीतर उस भवन या संरचना को हटा ले। ऐसा नहीं करने पर उपायुक्त उस भवन या संरचना को हटवा दे सकेगा ।

स्पष्टीकरण-II

भूइहरी या मुण्डारी, खूँटकट्टीदार, जो इस अधिनियम की धारा-18 के प्रावधानों के अधीन अधिभोगी रैयत माने गए हैं, को इस धारा के प्रयोजनार्थ भी रैयत माना जायेगा।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

1. यह विधेयक छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 में संशोधन तथा राज्य में गैरकृषि भूमि के उपयोग को विनियमित करने एवं ऐसे उपयोगों के लिए गैरकृषि लगान उद्गृहीत (स्मअल) करने के लिए बनाया जा रहा है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 (क) के बाद धारा 21 (ख) निम्नवत अंतःस्थापित होगी।

धारा 21 (ख):-गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति :

(i) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्रों में अधिसूचित गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी।

(ii) राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी जो खण्ड (i) के अधीन प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा एवं मानक दर के गुणक में होगा। यद्यपि मानक दर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मानक दर अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैद्य रहेगा।

परन्तु (क) : अधिनियम की धारा 21 (2)(क), 21 (2) (ख), 21 (2) (ग) तथा 21-क के अधीन यथा अनुमत भूमि के उपयोगों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा।

(ख) नगरपालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैरकृषि क्रियाकलापों यथा-गोदामों तथा पंपहाउसों का निर्माण के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा। उक्त निहित शर्त्तो के अतिरिक्त नगरपालिका/नगर निगम (शहरी क्षेत्रों) की सीमा के बाहर अथवा भीतर गैर कृषि कार्यों के लिए निर्मित संरचना एवं उपयोग के मैरेज हॉल, होटल जैसे गैर कृषि कार्यों के अध्याधीन भूमि पर गैर कृषि लगान अधिरोपित किया जा सकेगा परन्तु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक), स्वत्व एवं हित इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के संगत प्रावधानों के तहत पूर्व की भाँति बना रहेगा।

(ग) इस संशोधन की अधिनियमिति से पूर्व यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग खंड (i) के अधीन बनाये गये नियमानुकूल अधिसूचित प्रयोजनार्थ कर रहा है तो वह रैयत ऐसी भूमि का निर्बाध उपयोग करता रहेगा, परन्तु वह गैरकृषि लगान निर्धारण हेतु इस संशोधन के 90 दिनों भीतर एतदर्थ प्राधिकृत संबंद्ध राजस्व प्राधिकारी के पास आवेदन करने के बाध्यताधीन होगा।

परन्तु यह और कि इस संशोधन की अधिनियमिति के बाद रैयत यदि नियत समय के भीतर संबंधित राजस्व पदाधिकारी के पास आवेदन नहीं करता है तो इसके लिए प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी स्वप्रेरणा से गैरकृषि लगान का आकलन एवं निर्धारण करेगा।

2. राज्य के लोक कल्याणार्थ कार्यक्रम खनन एवं औद्योगिक प्रयोजनों को छोड़कर यथा सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पाईप्स और अन्य उपयोगी सेवा यानी पाईप लाईन्स, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पंचायत भवनों, अस्पतालों, आँगनबाड़ी इत्यादि के लिए भूमि अंतरण का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

झारखण्ड राज्य के मूलभूत विकास एवं जन सामान्य के हित के लिए इस कठिनाई से निजात पाने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 (1) (ग) अंतःस्थापन एवं 49 (2) में संशोधन की आवश्यकता है।

सी.एन.टी. एक्ट, 1908 की धारा 49 (1) के कतिपय प्रावधान के तहत सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भूमि हस्तांतरण या अर्जन के उद्भूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु सी.एन.टी. एक्ट, 1908 की धारा 49 (1) में संशोधन कर धारा-49 (1) (ग) का अंतःस्थापन तथा 49 (2) में संशोधन आवश्यक है ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक उद्देश्य के भूमि हस्तांतरण में सहूलियत हो।

धारा-49 (1) (ग) - धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूईहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा-48 में निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगा :- सरकारी प्रयोजन हेतु सामाजिक, विकासोन्मुखी एवं जन कल्याणकारी आधारभूत संरचनाओं के निमित्त अधिसूचित की जानेवाली परियोजनाओं जैसे रेखीय परियोजनाओं यथा-सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पईप्स एवं जनोपयोगी सेवा, यथा-पाईप लाईन्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, आँगनबाड़ी के लिए।

परन्तु हस्तांतरित की जानेवाली भूमि का मूल्य वर्तमान भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अनुमत भूमि का मूल्य एवं अन्य देय लाभ से कम नहीं होगा।

3. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71 क के प्रावधान वैसे नागरिकों को जो अपनी जमीन को रख पाने की स्थिति में नहीं हो, उनकी सुरक्षार्थ विधायिका से अभिप्रेत लाभकारी विधायी प्रावधान है। वैसे हस्तानान्तरण जो धारा 46, 48 या 240 या सी.एन.टी. के अन्य प्रावधानों के विपरीत या छलपूर्वक, कपट एवं दुरभिसंधी द्वारा वादों में प्राप्त डिक्रीयों सहित सी.एन.टी. की धारा-71 क के अंतर्गत निष्प्रभावी किए जा सकते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र विनियमन पदाधिकारियों द्वारा जनजातियों की भूमि को गलत तरीके से नियमित करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, समय-सीमा विशिष्ट होने की जरूरत है। इस परिपेक्ष्य में सी.एन.टी. की धारा 71 क के परन्तुक I में समय-सीमा में संशोधन की आवश्यकता है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक II के प्रावधानों की गलत व्याख्या कर अधिकांशतः गलत ढंग से भूमि की मान्यता दी गई। बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के अस्तित्व में आने से पूर्व वैसे हस्तान्तरण के मामले विधिमान्य हो सकते हैं, जहाँ सारवान संरचनाएँ (अधिनियम में यथा परिभाषित) ऐसे जोत या इसके भाग पर दिनांक-08.02.1969 से पूर्व निर्मित हुए हों, अर्थात जिस समय से बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 प्रभावी हुआ। यदि 1969 के पूर्व कोई विचारणीय संरचना नहीं है तो उस भूमि को जनजातियों को वापस किया जाना है। 1969 के बाद अंतरित, धारा-46 के प्रावधानों के विपरीत अथवा इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर छलपूर्वक कपट एवं दुरभिसंधी द्वारा वादों में प्राप्त डिक्रीयो सहित इस अधिनियम के द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है। हस्तानान्तरण की तिथि से भूमि वापसी हेतु आवेदन देने की अधिकतम समय-सीमा 30 वर्षों की है। यदि यह 1969 के ठीक पहले हो तो समय 1999 के बाद समाप्त हो जाता है। 1999 के बाद उक्त प्रावधान उसकी समय सीमा के कारण अक्रियाशील हो जाता है।

परन्तुक-III अन्तरिती के अवैध दखल के बारे में कहता है। अवैध दखल का प्रश्न केवल उन्हीं मामलों में उठता है जिसमें अन्तरिती ने 08.02.1969 के पूर्व 12 वर्ष पूरा कर लिया हो।

पुनः इस तरह के मामलों में परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुसार हस्तानान्तरण की तिथि से 30 वर्षों की सीमा से आच्छादित है। एक आदर्श उदाहरण लें कि अन्तरिती ने

8 फरवरी, 1969 के ठीक पहले 12 वर्ष पूरा कर लिया है तब अन्तरक 8 फरवरी, 1987 तक भू-वापसी का आवेदन दे सकता है।

धारा 71 क के परन्तुक III के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के मामलों में आवेदन दिए जाने की अधिकतम समय-सीमा 8 फरवरी, 1987 तक है। दिनांक 8 फरवरी, 1987 के बाद यह परन्तुक अक्रियाशील हो जाता है। परन्तुक II एवं III वर्षों पूर्व निष्प्रभावी हो जाने के कारण उसे विलोपित करने की आवश्यकता है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक II (स्पष्टीकरण-I सहित) तथा III से समस्या का सम्यक निदान हेतु इसे संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर कर अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

छोटानागपुर काश्तकारी (संशोधन) विधेयक-2016 लाने का आधारभूत उद्देश्य छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 क के परन्तुक-I, II (स्पष्टीकरण-I सहित) एवं III को संशोधित/निरसित करने का है।

(अमर कुमार बाउरी)
भारसाधक सदस्य

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

राजस्व संलेख

1. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 21 (क) के बाद धारा 21 (ख) निम्नवत अंतःस्थापित होगी।

धारा 21 (ख):-गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति :

(प) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्रों में अधिसूचित गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी।

(पप) राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी जो खण्ड (i) के अधीन प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा एवं मानक दर के गुणक में होगा। यद्यपि मानक दर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मानक दर अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षो के लिए वैद्य रहेगा।

परन्तु (क) : अधिनियम की धारा 21 (2)(क), 21 (2) (ख), 21 (2) (ग) तथा 21-क के अधीन यथा अनुमत भूमि के उपयोगों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा।

(ख) नगरपालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैरकृषि क्रियाकलापों यथा-गोदामों तथा पंपहाउसों का निर्माण के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा। उक्त निहित शर्त्तो के अतिरिक्त नगरपालिका/नगर निगम (शहरी क्षेत्रों) की सीमा के बाहर अथवा भीतर गैर कृषि कार्यों के लिए निर्मित संरचना एवं उपयोग के मैरेज हॉल, होटल जैसे गैर कृषि कार्यों के अध्याधीन भूमि पर गैर कृषि लगान अधिरोपित किया जा सकेगा **परन्तु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक), सत्व एवं हित इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के संगत प्रावधानों के तहत पूर्व की भाँति बना रहेगा।**

(ग) इस संशोधन की अधिनियमिति से पूर्व यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग खंड (i) के अधीन बनाये गये नियमानुकूल अधिसूचित प्रयोजनार्थ कर रहा है तो वह रैयत ऐसी भूमि का निर्बाध उपयोग करता रहेगा, परन्तु वह गैरकृषि लगान निर्धारण हेतु इस संशोधन के 90 दिनों भीतर एतदर्थ प्राधिकृत संबद्ध राजस्व प्राधिकारी के पास आवेदन करने के बाध्यताधीन होगा।

परन्तु यह और कि इस संशोधन की अधिनियमिति के बाद रैयत यदि नियत समय के भीतर संबंधित राजस्व पदाधिकारी के पास आवेदन नहीं करता है तो इसके लिए प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी स्वप्रेरणा से गैरकृषि लगान का आकलन एवं निर्धारण करेगा।

2. छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-49 (1) में धारा-49 (1) (ग) में निम्नवत् कण्डिका प्रतिस्थापित करने तथा धारा 49 (2) में संशोधन का प्रस्तावः-

राज्य के लोक कल्याणार्थ कार्यक्रम खनन एवं औद्योगिक प्रयोजनों को छोड़कर यथा सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पाईप्स और अन्य उपयोगी सेवा यानी पाईप लाईन्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, आंगनबाड़ी इत्यादि के लिए भूमि अंतरण का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 (1) के कतिपय प्रावधान के तहत सार्वजनिक उद्देश्य हेतु भूमि हस्तांतरण के उद्भूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु अधिनियम की धारा 49 (1) में धारा-49 (1) (ग) का अंतःस्थापन तथा 49 (2) में संशोधन आवश्यक है ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण में सहूलियत हो।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-49 (1) में धारा-49 (1) (ग) का अंतःस्थापन तथा धारा 49 (2) में संशोधन, जो निम्नवत् पढ़ा जायेगा :-

धारा-49 (1) (ग) - धारा-46, 47 और 48 में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी ऐसा कोई अधिभोगी रैयत या भूईहरी कुटुंब का कोई सदस्य, जो धारा-48 में निर्दिष्ट हो, निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपनी जोत या भूधृति अथवा उसके किसी भाग को अंतरित कर सकेगा :- सरकारी प्रयोजन हेतु सामाजिक, विकासोन्मुखी एवं जन कल्याणकारी आधारभूत संरचनाओं के निमित्त अधिसूचित की जानेवाली परियोजनाओं जैसे रेखीय परियोजनाओं यथा-सड़क, केनाल, रेलवे, केबुल, ट्रांसमीशन, वाटर पाईप्स एवं जनोपयोगी सेवा, यथा-पाईप लाईन्स, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, पंचायत भवन, अस्पताल, आँगनबाड़ी के लिए।

परन्तु हस्तांतरित की जानेवाली भूमि का मूल्य वर्तमान भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अनुमत भूमि का मूल्य एवं अन्य देय लाभ से कम नहीं होगा।

49 (2)- धारा 49 (1) की उपधारा (क) (ख) (ग) के अन्तर्गत जोत अन्तरण की दशा में अन्तरिती इस तरह से अन्तरित भूमि जिस प्रयोजनार्थ हस्तांतरित की गई हो उससे भिन्न अन्य

उपयोग के लिए हकदार नहीं होगा एवं जिस प्रयोजनार्थ भूमि हस्तांतरित की गयी हो यदि उसके लिए उसका उपयोग हस्तान्तरण की तिथि से 5 वर्षों के अन्तराल के अन्दर नहीं होने पर वह मूल रैयतों/उसके/उनके विधिक उत्तराधिकारियों को पूर्व में भूमि/जोत हस्तान्तरण के निमित्त किये गए भुगतान को लौटाए बिना वापस हो जायेगी।

3. अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क एक विशेष सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

अनुसूचित क्षेत्र विनियमन पदाधिकारियों द्वारा जनजातियों की भूमि को गलत तरीके से वैधीकरण की शिकायतें प्राप्त हो रही है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 के परन्तुक II एवं III की गलत व्याख्या कर अधिकांशतः गलत ढंग से भूमि की मान्यता दी गई।

बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के अस्तित्व में आने से पूर्व वैसे हस्तान्तरण के मामले विधिमान्य हो सकते हैं, जहाँ सारवान संरचनाएँ (अधिनियम में यथा परिभाषित) ऐसे जोत या इसके भाग पर दिनांक 8 फरवरी, 1969 से पूर्व निर्मित हुए हों, अर्थात जिस समय से बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 प्रभावी हुआ। यदि 1969 के पूर्व कोई विचारणीय संरचना नहीं है तो उस भूमि को जनजातियों को वापस किया जाना है। 1969 के बाद अंतरित, धारा-46 के प्रावधानों के विपरीत अथवा इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन कर छलपूर्वक कपट एवं दुरभिसंधी द्वारा वादों में प्राप्त डिक्रीयो सहित इस अधिनियम के द्वारा मान्य नहीं किया जा सकता है। हस्तानान्तरण की तिथि से भूमि वापसी हेतु आवेदन देने की अधिकतम सीमा 30 वर्षों की है। यदि यह 1969 के ठीक पहले हो तो समय 1999 के बाद समाप्त हो जाता है। 1999 के बाद उक्त प्रावधान उसकी समय सीमा के कारण अक्रियाशील हो जाता है।

परन्तुक-III अन्तरिती के अवैध दखल के बारे में कहता है। अवैध दखल का प्रश्न केवल उन्हीं मामलों में उठता है जिसमें अन्तरिती ने 8 फरवरी, 1969 के पूर्व 12 वर्ष पूरा कर लिया हो।

पुनः इस तरह के मामलों में परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुसार हस्तांतरण की तिथि से 30 वर्षों की सीमा से आच्छादित है। एक आदर्श उदाहरण लें कि अंतरिती ने 8 फरवरी, 1969 के ठीक पहले 12 वर्ष पूरा कर लिया है तब अंतरक 8 फरवरी,.1987 तक भू-वापसी का आवेदन दे सकता है।

धारा 71 क के परन्तुक III के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के कोटि में आवेदन दिए जाने की अधिकतम समय-सीमा 8 फरवरी, 1987 तक है। दिनांक 8 फरवरी, 1987 के बाद यह परन्तुक अक्रियाशील हो जाता है। परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं III वर्षों पूर्व निष्प्रभावी हो जाने के कारण उसे विलोपित करने की आवश्यकता है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 क के परन्तुक II (स्पष्टीकरण I सहित) एवं III से समस्या का सम्यक निदान हेतु इसे संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर कर अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।

छोटानागपुर काश्तकारी (संशोधन) विधेयक-2016 लाने का आधारभूत उद्देश्य छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 71 क के परन्तुक II (स्पष्टीकरण-I सहित) एवं III को संशोधित/निरसित करने का है।

अमर कुमार बाउरी,
भारसाधक सदस्य

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2016 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-41/2016- 3522 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापति हुआ, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है। प्रकाशित करें।

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड- संशोधन) विधेयक, 2016
[वि०स०वि०-29/2016]

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड- संशोधन) विधेयक, 2016

विषय-सूची

धारा।

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।

(2) बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 की धारा-3(3) में संशोधन।

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2016

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 की धारा-3(3) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र को 67 वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ :-

i. यह अधिनियम बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायगा।

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

iii. यह सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा।

2. धारा- 3(3) में संशोधन :-

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 की धारा-3(3) में "सर्टिफिकेट ऑफिसर" को निम्नांकित रूप से परिभाषित कर प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"सर्टिफिकेट अफसर से तात्पर्य है समाहर्त्ता, अनुमण्डल-पदाधिकारी और राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई सेवा निवृत्त पदाधिकारी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो, सर्टिफिकेट ऑफिसर का कार्य सम्पादित करने के लिए आयुक्त की स्वीकृति से समाहर्त्ता द्वारा नियुक्त किया जायेगा।"

लक्ष्य एवं उद्देश्य

सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षात्मक बैठक में यह बात सामने आयी कि राज्य के विभिन्न जिलों मे बैंको से संबंधित 98065 नीलाम-पत्र वाद लंबित है जिसमें 192.13 करोड़ रूपया की राशि सन्निहित है। बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की वसूली से संबंधित नीलाम पत्र वाद बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम,1914 के अन्तर्गत उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी के अधीन कार्यरत नीलाम पत्र पदाधिकारी के न्यायालय में दायर किये जाते है। विभिन्न समाहरणालयों में कार्यपालक दण्डाधिकारी/उपसमाहर्त्ता की कमी के कारण प्रतिवर्ष बैंकों से संबंधित नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में ह्रास होता जा रहा है।

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के कतिपय प्रावधान यथा नीलाम पत्रवादो के निष्पादन के क्रियान्वयन में उद्भूत व्यवहारिक कठिनाईयों एवं प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3(3) में संशोधन किया जाना आवश्यक है ताकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नीलाम पत्रवादों के निष्पादन के क्रियान्वय में सहूलियत हो।

एतदर्थ बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2016 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3(3) में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है।

अमर कुमार बाउरी,
भार साधक सदस्य

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

राजस्व संलेख

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3(3) के अन्तर्गत उपायुक्त सह-जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में दायर किये जाते है। विभिन्न समाहरणालयों में कार्यपालक दण्डाधिकारी/उप समाहर्त्ता की कमी के कारण प्रतिवर्ष बैंकों से संबंधित नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में ह्रास होता जा रहा है। सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, झारखण्ड सरकार का प्रस्ताव है कि बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम-1914 (बिहार और उड़ीसा अधिनियम IV, 1914) की धारा 3(3) को विलोपित करते हुए निम्नांकित रूप से प्रतिस्थापित किया जाय।

"सर्टिफिकेट अफसर से तात्पर्य है समाहर्त्ता, अनुमण्डल-पदाधिकारी और राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार का कोई सेवा निवृत्त पदाधिकारी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम हो, सर्टिफिकेट ऑफिसर का कार्य सम्पादित करने के लिए आयुक्त की स्वीकृति से समाहर्त्ता द्वारा नियुक्त किया जायेगा।"

बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अन्तर्गत नीलाम पत्रवादों के निष्पादन की प्रक्रिया में उद्भूत व्यवहारिक कठिनाईयों के निराकरण हेतु बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 की धारा 3(3) में संशोधन आवश्यक है। उक्त संशोधन से नीलाम पत्रवादो के निष्पादन की प्रक्रिया सुगम होगी।

प्रस्तावित बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली (झारखण्ड-संशोधन) विधेयक, 2016 पर क्रमशः सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, राजस्व पर्षद, एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

अमर कुमार बाउरी,
भार साधक सदस्य

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2016 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-37/2016- 3526 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापति हुआ, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है। प्रकाशित करें।

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (अनुपूरक उपबंध), 1949 (संशोधन) विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-24/2016]

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (अनुपूरक उपबंध), 1949 (संशोधन) विधेयक, 2016

विषय सूची

धाराः

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

2. संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (अनुपूरक उपबंध), 1949 की धारा 13 में (संशोधन)

संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक अनुबंध) अधिनियम, 1949 (संशोधन) विधेयक, 2016

(प्रारूप)

संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक अनुबंध) अधिनियम, 1949 की धारा-13 में संशोधन हेतु विधेयक ।

भारतीय गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ :-

i. यह अधिनियम ''संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक अनुबंध) अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2016 कहलाएगा,

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में (छोटानागपुर प्रमण्डलों को छोड़कर) होगा।

iii. यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक अनुबंध) अधिनियम की धारा-13 में संशोधन :-

संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 में 13 (क) का अंतःस्थापन उक्त अधिनियम की धारा 13 के बाद निम्नलिखित धारा 13 (क) अंतःस्थापित होगी :-

धारा 13 (क) :- गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति

(i) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में भूमि के गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे उपयोगों को अधिसूचित किया जाएगा।

(ii) राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी, जो खण्ड (i) के अधीन विरचित नियमों के तहत प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित **मानक दर** के गुणक में होगा। किन्तु मानक दर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। मानक दर इसकी अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षो के लिये विधिमान्य रहेगी।

परन्तुः

(क) अधिनियम की धारा 15, 16, 17 एवं 18 के अधीन यथाअनुमत भूमि के उपयोगों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा।

(ख) नगरपालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैरकृषि क्रियाकलापों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा। उपर्युक्त शर्तों के अलावे वैसी भूमि पर गैर कृषि लगान उद्गृहीत किया जायेगा, जिनका उपयोग नगरपालिका/नगर निगम क्षेत्रों के भीतर या बाहर गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है **परन्तु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक), स्वत्व एवं हित इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 के संगत प्रावधानों के तहत पूर्व की भाँति बना रहेगा**।

(ग) इस संशोधन की अधिनियमिति से पूर्व यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग इस प्रयोजनार्थ खंड (i) के अधीन विरचित नियमों के अनुसार अधिसूचित प्रयोजनों के लिए कर रहा है तो वह रैयत ऐसी भूमि का निर्बाध उपयोग करता रहेगा, किन्तु वह गैरकृषि लगान निर्धारण हेतु इस संशोधन के 90 दिनों के भीतर एतदर्थ प्राधिकृत संबंद्ध राजस्व प्राधिकारी के पास आवेदन करने के बाध्यताधीन होगा।

परन्तु यह और कि इस संशोधन की अधिनियमिति के बाद यदि रैयत लगान के निर्धारण के लिए नियत समय के भीतर संबंधित राजस्व पदाधिकारी के पास आवेदन नहीं करता है तो इसके लिए प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी स्वप्रेरणा से गैरकृषि लगान का आकलन तथा निर्धारण करेगा।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

यह विधेयक संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 में संशोधन तथा राज्य में गैरकृषि भूमि के उपयोग को विनियमित करने एवं ऐसे उपयोगों के लिए गैरकृषि लगान उद्गृहित (Levy) करने के लिए बनाया जा रहा है।

1. संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा (13) के बाद धारा 13 (क) निम्नवत अंतःस्थापित होगीः-

धारा 13 (क) :- गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने की शक्ति

(i) तत्समय प्रवृत्त अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार समय-समय पर ऐसे अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्रों में अधिसूचित गैरकृषि उपयोग को विनियमित करने के लिए नियम बनायेगी।

(ii) राज्य सरकार गैर कृषि लगान अधिरोपित कर सकेगी, जो खण्ड (i) के अधीन प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जायेगा एवं मानक दर के गुणक में होगा। यद्यपि मानक दर भूमि के बाजार मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। मानक दर अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षो के लिये वैद्य रहेगा।

परन्तु : (क) अधिनियम की धारा 15, 16, 17 एवं 18 के अधीन यथाअनुमत भूमि के उपयोगों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा।

(ख) नगरपालिका सीमा के भीतर व बाहर स्थित अपनी भूमि के कृषि उपयोग से संबद्ध गैरकृषि क्रियाकलापों के लिए काश्तकार द्वारा कोई गैरकृषि लगान भुगतेय नहीं होगा। उपर्युक्त शर्तों के अलावे वैसी भूमि पर गैर कृषि लगान उद्गृहीत किया जायेगा, जिनका उपयोग नगरपालिका/नगर निगम क्षेत्रों के भीतर या बाहर गैर कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है **परन्तु कृषि से गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तित भूमि पर रैयतों का स्वामित्व (मालिकाना हक), स्वत्व एवं हित इस संशोधन के अधिनियमित होने से पूर्व के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 के संगत प्रावधानों के तहत पूर्व की भाँति बना रहेगा**।

(ग) इस संशोधन की अधिनियमिति से पूर्व यदि कोई रैयत अपनी भूमि का उपयोग खंड (i) के अधीन बनाये गये नियमानुकूल अधिसूचित प्रयोजनार्थ कर रहा है तो वह रैयत ऐसी भूमि का निर्बाध उपयोग करता रहेगा, परन्तु वह गैरकृषि लगान निर्धारण हेतु इस संशोधन के 90 दिनों भीतर एतदर्थ प्राधिकृत संबंद्ध राजस्व प्राधिकारी के पास आवेदन करने के बाध्यताधीन होगा।

परन्तु यह और कि इस संशोधन की अधिनियमिति के बाद रैयत यदि नियत समय के भीतर संबंधित राजस्व पदाधिकारी के पास आवेदन नहीं करता है तो इसके लिए प्राधिकृत राजस्व पदाधिकारी स्वप्रेरणा से गैरकृषि लगान का आकलन तथा निर्धारण करेगा।

अमर कुमार बाउरी,

भार साधक सदस्य

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2016 ई0।

संख्या-वि०स०वि०-40/2016- 3529 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापति हुआ, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है। प्रकाशित करें।

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016

[वि0स0वि0-25/2016]

विधि विभाग

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 15 का संशोधन ।

झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) में संशोधन के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।
   (1) यह "झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016" कहा जायेगा।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में होगा।
   (3) यह अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 15 का संशोधन।**

(क) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 15(1) के पश्चात् निम्न प्रावधान (2) अन्त:स्थापित की जाती है -

(2) राज्य सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित क्षेत्र के एक विशिष्ट व्यक्ति को सदस्य के रूप में अधिसूचना द्वारा मनोनीत कर सकेगी;

परन्तु ऐसे सदस्य का कार्यकाल राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा;
परन्तु राज्य सरकार ऐसे मनोनीत सदस्य का मनोनयन रद्द करने के लिए भी सक्षम होगी;
परन्तु ऐसा मनोनीत सदस्य ग्राम पंचायत का पदधारी नहीं हो सकेगा।

(ख) झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 (झारखण्ड अधिनियम 06, 2001) की धारा 15 में उपधारा में अंकित अंक (2) को विलोपित कर (3) के रूप में प्रतिस्थापित किया जायेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के कुछ प्रावधानों को कारगर एवं व्यवहारिक करने के आलोक में कतिपय संशोधन करना झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन), 2016 का उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभिष्ट है ।

श्री नीलकंठ सिंह मुंडा,
भारसाधक सदस्य

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2016 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-36/2016- 3532 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापति हुआ, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है। प्रकाशित करें।

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

[वि०स०वि०- 30/2016]

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु विधेयक।

एतद् द्वारा भारतीय गणतंत्र के सढ़सठवे वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमति हो -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भः-

i. यह विधेयक झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 कहा जा सकेगा।

iii. यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

iii. यह दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से प्रवृत माना जाएगा।

2. धारा **80A** में संशोधन -

धारा 80 के पश्चात्, **80A** के रूप में एक नयी धारा निम्नवत् जोड़ी जाएगी:-

80 A एडवांस रूलिंग -

1. व्यवसायी द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहार के लिए अधिनियम, नियमावली या निर्गत अधिसूचनाओं की व्याख्या पर एडवांस रूलिंग प्राप्त करने के लिए कोई भी निबंधित व्यवसायी विहित प्रपत्र एवं प्रक्रिया के तहत न्यायाधिकरण को आवेदन समर्पित कर सकता है, यद्धपि किसी कार्यवाही में संबंधित प्रावधान के संबंध में कोई प्रश्न नही उठाया गया हो।

2. यदि न्यायाधिकरण पाता है कि आवेदन में विधि से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सन्निहित नही है तो न्यायाधिकरण आवेदक को सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर देने के बाद, आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है।

3. यदि आवेदन स्वीकृत किया जाता है तो न्यायाधिकरण द्वारा आवेदक एवं विभागीय प्रतिनिधि को सुनने के पश्चात आवेदन की प्राप्ति के चार महीनों के अन्दर आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रश्न पर एडवांस रूलिंग निर्गत करेगा।

4. इस प्रकार निर्णित /निर्गत एडवांस रूलिंग तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा एवं आवेदक तथा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होगा।

5. एडवांस रूलिंग का निर्णय/घोषणा उपर्युक्त पर बाध्यकारी होगा बशर्ते विधि या तथ्यों में कोई परिवर्तन / संशोधन नही हुआ हो जिसके आधार पर एडवांस रूलिंग दी गयी हो।

6. आयुक्त से आवेदन प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण को प्रभावित पक्ष या आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए किसी भी समय दिए गए निर्णय के पुर्नविलोकन, संशोधन या निरस्त करने की शक्तियां होगी। ऐसे पुर्नविलोकन या संशोधन या पुर्नस्थापन पर उपधारा (3) के अन्तर्गत उल्लिखित काल अवधि की शर्त लागू नही होगी।

7. जहां न्यायाधिकरण आयुक्त या किसी या किसी अन्य से आवेदन होने पर यह पाता है कि दिए गए एडवांस रूलिंग तथ्यों के गलत तरीके से प्रस्तुतीकरण के आधार पर दी गयी है तो प्रर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे आदेश को मूलतः अवैध घोषित कर सकता है एवं ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के प्रावधान आवेदक पर लागू होंगे, जैसे कि इस पर कोई एडवांस रूलिंग नही दी गयी हो।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम,2005 की धारा 80 के पश्चात धारा 80A के रूप में एक नई धारा प्रावधानित किया जा रहा है | उक्त प्रावधान के अन्तर्गत राज्य के निबंधित व्यवसायियों को विहित प्रपत्र एवं प्रक्रिया के अन्तर्गत अधिनियम,नियमावली एवं विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में Clarification प्राप्त करने हेतु वाणिज्य-कर न्यायधिकरण,राँची के समक्ष आवेदन समर्पित करने की व्यवस्था है |

एतदर्थ झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2016 के माध्यम से झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन को अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है |

रघुवर दास,

भार साधक सदस्य

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2016 ई०।

संख्या-वि०स०वि०- 42/2016- 3535 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापति हुआ, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है। प्रकाशित करें।

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक,2016

[वि०स०वि०-28/2016]

झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक,2016

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनो के स्रोतों का संरक्षण, भूमि के उपरी सतह पर (सतही) जल के स्तरको (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of Surface water) उपर उठाने हेतु वर्षा के जल का संरक्षण, जल स्रोतों का उन्नयन (Water recharge) तथा जल के विनियमन, जल के पीने और इससे संबंधित या अनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल आपूर्ति प्राधिकार की स्थापना के उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणतंत्र के 67वें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

अध्याय -I

प्रारम्भिक

1.0 संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भः-

1.1 यह विधेयक "झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार विधेयक, 2016" कहलायेगा।

1.2 इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2.0 परिभाषाएं:-

2.1 जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

2.1.1 कार्यक्षेत्र' से अभिप्रेत है, झारखण्ड का वर्त्तमान एवं भविष्य में बनने वाले सभी सम्पूर्ण शहरी भौगोलिक क्षेत्र, जहां जल का प्रबंधन, वितरण एवं उपयोग सार्वजनिक या निजी संस्थानों द्वारा किया जाता हो अथवा जो वे सभी क्षेत्र जहां से जलस्रोत अथवा जल प्रबंधन करने से आमजनों को शुद्ध पेयजल प्राप्त करने में आसानी हो।

2.2 'उपयोग की श्रेणी' से अभिप्रेत है, विभिन्न प्रयोजनों हेतु जल का प्रयोग यथा- घरेलू, उद्योगों, औद्योगिक या वाणिज्यिक, पर्यावरण संबंधी, उर्जा उत्पादन आदि।

2.3 'अध्यक्ष' से अभि प्रेत है प्राधिकार का अध्यक्ष।

2.4 'विभाग' से अभिप्रेत है नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार।

2.5 'प्राधिकार' से अभिप्रेत है धारा -3 के तहत स्थापित झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार।

2.6 'सरकार या' राज्य सरकार 'से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार।

2.7 'सदस्य 'का अभिप्रेत है, प्राधिकार का सदस्य जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है।

2.8 'विहित' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,

2.9 'खोज' समिति से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा-06 के अधीन गठित चयन समिति,

2.10 'नियम' से अभिप्रेत है, सरकार के द्वारा इस अधिनियम के तहत बनने वाले नियम,

2.11 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाये जानेवाले नियम की अधिसूचना।

2.12 'वर्णित' से अभिप्रेत है, सरकार द्वारा वर्णित।

2.13 'जल परियोजना' से अभिप्रेत है, वैसी योजना जो पेयजल आपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ व्यावसायिक, औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्य हेतु भूमि आदि।

अध्याय-॥

नियामक प्राधिकार की स्थापना

3.1 नियामक प्राधिकार की स्थापना एवं उद्देश्य:

3.1.1 इस अधिनियम के अधिसूचित होने की तिथि से तीन महीने के भीतर राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कार्य करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक नियामक प्राधिकार की स्थापना करेगी, जिसे झारखण्ड नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के रूप में जाना जायेगा।

3.1.2 प्राधिकार एक निगमित निकाय होगा।

3.1.3 प्राधिकार का प्रधान कार्यालय रांची में होगा।

3.1.4 प्राधिकार में राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित एक अध्यक्ष और दो से अनाधिक सदस्य होंगे।

3.1.5 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति धारा 6 मे गठित खोज समिति की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के द्वारा की जायेगी।

3.2 नियामक प्राधिकार का उद्देश्य:

3.2.1 झारखण्ड राज्य के अंतर्गत सभी नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु समस्त आवश्यक कार्रवाई करना,

3.2.2 शहरी क्षेत्र में उपलब्ध भू-गर्भीय जलसंसाधनो के स्रोतों, संरक्षित जल एवं सतही जल का संरक्षण,

3.2.3 भूमि के उपरी भाग पर वर्षा के जल का संरक्षण एवं सतही जलस्तर को जलछाजन, जलउन्नयन (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of Surface water) एवं अन्य वर्त्तमान प्रचलित एवं वैज्ञानिक तरीके/माध्यम से उपर उठाने हेतु प्रयास करना।

3.2.4 जलस्रोतों में जलउन्नयन (rewater rechag) करना तथा जल के विनियमन,

3.2.5 नदियों, तालाबों एवं अन्यस्रोतों के जल को पीने लायक रखने हेतु और इससे संबंधित या आनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जलप्रबंधन सुनिश्चित करना,

3.2.6 जल के प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाना,

3.2.7 शहरी क्षेत्र में जल के अनुचित दोहन को रोकना,

3.2.8 जलापूर्ति हेतु समय-समय पर नियमावली की परिवर्तनीय शर्तों को निर्धारित करते हुए लागू करना

3.2.9 जलसंयोजन तथा जलापूर्ति की सेवा के बदले प्राप्त होनेवाले जलशुल्क की प्राप्ति को शत-प्रतिशत घरों से वसूल करने में मदद करना तथा राजस्व को बढ़ाने में सहयोग करना,

3.2.10 जलप्रबंधन, समुचित उपयोग के निमित्त जनजागरूकता आदि का कार्य कराना, तथा

3.2.11 समय-समय पर उपभोक्ता जलदर (User water chagres) को लागत एवं सेवा के स्तर के अनुसार संशोधित करते हुए लागू करने में होनेवाले व्यय, भविष्य में सेवा के स्तर की

निरन्तरता बनाये रखने हेतु, सरकार, नगर निकायों एवं आमजनों की राय प्राप्त करते हुए लागू कराने में सहायता करना।

3.2.12 जलसंतुलन के लिए कार्य करना।

3.2.13 गैर राजस्व जल की मात्रा को शून्य तक करना।

3.2.14 सभी घरों में जल से संबंधित मीटर लगाना एवं इसके लिए प्रोत्साहित करना।

3.2.15 प्रत्येक वर्ष जल अंकेक्षण कराना तथा नगरीय क्षेत्र में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

3.2.16 जलकर का निर्धारण तथा उसका विनिमयन करना साथ ही साथ भू-गर्भीय एवं सतही जल के उपयोग यथा पीने, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं अन्य उद्देश्य हेतु, एक दर का निर्धारण करते हुए जलसंतुलन बनाना एवं राजस्व बढ़ाना।

4.0 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता

4.1 केवल ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाएगा जो निम्नांकित योग्यता रखता हो:-

4.1.1 अध्यक्ष- न्यूनतम योग्यता स्नातक एवं न्यूनतम् 25 वर्षों के प्रशासनिक / तकनीकी सेवा के अनुभव के साथ राज्य सरकार में सचिव / अभियंता प्रमुख स्तर का पदधारण किया हो तथा उसे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जलसंचयन एवं जलसंसाधन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो।

4.1.2 सदस्य - दो होंगे।

4.1.2.1 सदस्य- तकनीकी

क. विशेषज्ञ जिन्होंने जल संरक्षण तथा पेयजलापूर्ति एवं जल संसाधन के क्षेत्र में कार्य किया हो।

ख. न्यूनतम योग्यता बी०टेक/बी०ई० (सिविल, यांत्रिक, जलविज्ञान एवं संबंधित क्षेत्र)

ग. शुद्ध पेयजल की आपूर्ति/ जलसंचयन/जलसंसाधन के क्षेत्र में कम से कम 25 वर्षों का सेवा अनुभव हो, तथा

घ. मुख्य अभियंता या समकक्ष पद पर सेवा दे चुका हो।

2 सदस्य- प्रशासन

क. एक ऐसा विशेषज्ञ होगा जिसे प्रशासनिक कार्य का कम से कम पच्चीस वर्षों का कार्यानुभव हो, तथा

ख. अर्थशास्त्र/समाज विज्ञान/सांख्यिकी/प्रबंधन में मास्टर डिग्री/प्रबंधन में पी०जी० डिप्लोमा या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

4.2 प्राधिकार का अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने कार्यालय के दौरान कोई अन्य पदधारण नही करेगा।

4.3 अध्यक्ष प्राधिकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

4.4 जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी, मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, तब सदस्य (प्रशासन) अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

4.5 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन व अन्य भत्ते

4.5.1 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों आदि का मानदेय (पारिश्रमिक) एवं भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

4.5.2 यदि सरकार के वर्त्तमान पदाधिकारी को प्राधिकार के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उनकी सेवा निवृति की तिथि तक उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य लाभ प्राप्त होंगे, जबतक कि वे अपने कैडर से सेवानिवृत न हो जायें।

4.5.3 अध्यक्षया अन्य सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के आलोक में यदि पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो उन्हें उनके पेंशन की राशि घटाकर अंतिम परिलब्धियों के बराबर मानदेय (पारिश्रमिक) भुगतेय होगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में उन्हें सेवानिवृति की तिथि को प्राप्त होने वाली सकल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगा।

अध्यक्ष एवं सदस्य के पदों पर सेवानिवृत पदाधिकारी की नियुक्ति होने की स्थिति में सेवानिवृति की तिथि को उन्हें अनुमान्य आवासन, चिकित्सीय तथा यात्रा संबंधी अन्य सुविधाएं आदि उन्हें नियुक्ति के पश्चात्पूर्ववत प्राप्त होंगी।

4.5.4 वैसे व्यक्ति जो सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं रहे हो और वे प्राधिकार के अघ्यक्ष /सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो अध्यक्ष एवं सदस्य को मानदेय (पारिश्रमिक), भत्ते और सुविधाएं वही होंगी, जो राज्य सरकार में क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को है।

4.6 प्राधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्य को अनुमान्य अवकाश

4.6.1 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए घोषित निगोशिएबल इन्सट्रुमेण्टएक्ट 1881 के अतंर्गत सार्वजनिक छुट्टियां एवं कार्यपालक आदेश के अन्तर्गत घोषित सार्वजनिक अवकाश के हकदार होंगे।

4.6.2 प्राधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिये निर्धारित आकस्मिक अवकाश देय होगा।

4.6.3 अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करने के लिए सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सक्षम प्राधिकार होंगे तथा किसी सदस्य को अवकाश स्वीकृत करने के लिए अध्यक्ष सक्षम प्राधिकार होंगे।

5.0 एक व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए निरर्हित किया जायेगाः

5.1. यदि वह दिवालिया घोषित किया गया हो, या

5.2 यदि वह शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, या

5.3 यदि उसे किसी भी अपराध से जुड़े नैतिक भ्रष्टता के लिए कारावास की सजा सुनाई गयी है, या दोषी पाया गया हो।

5.4 उसने वित्तीय या अन्य लाभ हासिल कर लिया हो, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में ऐसे कार्यों को प्रभावित होने की संभावना हो।

5.5 उसने अपने पद का दुरूपयोग किया हो जिससे उसे पद पर बने रहने से सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या

5.6 वह संसद या किसी राज्य विधान मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो या वहां के लिए चुनाव में एक उम्मीदवार हो, या

5.7 वह किसी राजनीतिक पार्टी का एक सक्रिय सदस्य हो अथवा उसमें कोई पदधारण करता है।

6.0 खोज समिति का गठन तथा कार्य

6.1 राज्य सरकार धारा 03 की उपधारा 05 के अधीन अधिसूचना द्वारा अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति गठित करेगी । समिति का स्वरुप निम्नवत होगा:-

6.1.1 मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार : पदेन अध्यक्ष

6.1.2 विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य

6.1.3 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य

6.1.4 अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
झारखण्ड सरकार : पदेन सदस्य

6.2 राज्य सरकार अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, इस्तीफा या हटाने के कारण हुई रिक्ति के एक माह के अन्दर और सेवानिवृति या कार्यकाल की समाप्ति के छः महीने पहले अध्यक्ष या सदस्य की रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निदेश देगी।

6.3 अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करते समय खोज समिति उस व्यक्ति जिसकी अनुशंसा की जा रही है, की क्षमता, सत्यनिष्ठा, चरित्र, योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखेगी।

6.4 निर्देश की तारीख से दो महीने के भीतर चयन समिति सदस्यों के चयन को अंतिम रूप देगी।

6.5 चयन समिति प्रत्येक निर्देशित (भेजी गई) रिक्ति के लिए दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

6.6 वह व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन के लिए विचार किया गया है, निम्नांकित के बारे में चयन समिति को अधिसूचित करेगाः

6.6.1 कोई पद, नियोजन या परामर्श कार्य समझौता या व्यवस्था जोउ सके अपने या संबंधी के नाम से है अथवा कोई फर्म, व्यक्तियों का समूह या निगमित निकाय का मालिक है या उनके द्वारा अन्यथा नियंत्रित हो, जिसमें निम्नलिखित क्रियाकलाप शामिल है:-

6.6.1.1 सतही जल का दिशा परिवर्तन, पानी का वितरण, भू-जल का निकास या जलापूर्ति

6.6.1.2 जल उद्योग से संबंधित निर्माण, बिक्री, पट्टा, किराया अथवा उससे संबंधित मशीनरी की आपूर्ति या सौदा,

6.6.1.3 कोई ईकाई, जो उपर्युक्त खण्ड 6.6.1.1 तथा6.6.1.2 में निर्दिष्ट किसी व्यापार को व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करती हो।

6.6.2 चयन समिति द्वारा यथा निर्धारित इस तरह के अन्य विवरण और सूचना।

6.7 अध्यक्ष या सदस्य के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति और चयन के लिए उनसे प्राप्त किया गया उपधारा 6.6 में निर्दिष्ट विवरण खोज समिति के विचार के लिए रखा जायगा।

6.8 अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद के प्रभार लेने से पहले अपनी नियुक्ति की शर्त के रूप में धारा (6) में वर्णित व्यापार के लाभ से अपने को अलग (वंचित) रखेंगे।

6.9 यदि कोई व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जायेगा यदि वह राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के निगम या किसी भी सरकारी निकाय के अधीन कोई पद पर हो या लाभप्रद रूप में नियोजित है अथवा किसी अन्य व्यक्ति, सरकारी प्राधिकार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र या अन्य सेवा में लाभ के पद पर है तो वह प्राधिकार में योगदान देने से पूर्व अपना इस्तीफा सौंपेगा या उससे स्वैच्छिक सेवानिवृति लेगा।

6.10 जिस अवधि तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के पद पर रहता है और किसी भी कारण से अध्यक्ष या सदस्य नही रहने के बाद दो वर्षों तक की अवधि तक वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी पद, नियोजन या परामर्श कार्य व्यवस्था, या उपधारा (6.6) में वर्णि तव्यवसाय में वित्तीय लाभ धारण, अर्जन या ग्रहण नहीं करेगा और यदि वह ऐसे किसी भी लाभ को उत्तराधिकार या वसीयती रूप में प्राप्त करता है तो ऐसे लाभ अर्जन करने के तीन माह के अन्दर स्वयं को इस लाभ से वंचित कर लेगा।

6.11 किसी भी व्यक्ति की सिफारिश करने से पूर्व खोज समिति, आश्वस्त हो लेगी कि वह व्यक्ति उपधारा (6.6) में निर्दिष्ट कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नही रखता है, जिसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में उसका निर्णय पूर्वाग्रह से प्रभावित हो।

6.12 खोज समिति के सभी निर्णय बहुमत से लिये जायेंगे।

6.13 अध्यक्ष और सदस्यों के चयन और नियुक्ति के लिए ऐसी प्रक्रिया होगी जो निर्धारित की जाए।

6.14 अध्यक्ष या एक सदस्य की नियुक्ति खोज समिति में किसी रिक्ति के कारण अमान्य नही की जायेगी।

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा-शर्तें:-

7.1 अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से तीन साल की अवधि तक पदधारण करेगा।

परन्तु, अध्यक्ष या सदस्य की पुनर्नियुक्ति दो से अनाधिक लगातार अवधि तक हो सकती है।

परन्तु, यह और कि अध्यक्ष या सदस्य सत्तर वर्षों की आयु के पश्चात् पद धारण नही करेगा।

7.2 अध्यक्ष या कोई भी सदस्य किसी भी समय सरकार को लिखित सूचना (Notice) देने के तीन माह बाद पदत्याग सकता है या धारा 08 के प्रावधानों के अनुसार उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।

7.3 अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य पदग्रहण करने के पूर्व निर्धारित किये गये प्राधिकार के समक्ष विहित रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे।

7.4 अध्यक्ष या सदस्य को देय वेतन भत्तों और अन्य शर्तें एवं बंधेज ऐसी होंगी जैसी निर्धारित की जाए।

7.5 अध्यक्ष या सदस्यों को देय वेतन भत्ते या अन्य सेवा शर्तें उनके चयन के बाद इसरूप में परिवर्तित नही की जा सकेगी जो उनके प्रतिकूल हो।

7.6 अध्यक्ष या सदस्य पद समाप्ति के बाद निम्नांकित नही करेगा :-

7.6.1 वह सरकार की अनुमति के बिना अपना पद छोड़ने से दो वर्षों की अवधि तक राज्य सरकार के अन्तर्गत अन्य रोजगार के लिए पात्र नही होगा

7.6.2 अपना पद छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए वह कोई भी व्यावसायिक रोजगार स्वीकार नही करेगा, और

7.6.3 किसी भीतरी के से प्राधिकार के समक्ष किसी भी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नही करेगा। स्पष्टीकरणः- इस उपधारा के प्रयोजनार्थः-

7.6.3.1 राज्य सरकार के अधीन नियोजन के अन्तर्गत भारत के राज्य के अन्दर किसी भी स्थानीय निकाय या अन्य प्राधिकार जो किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में हों या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निगम या संस्था (Society) में नियोजन शामिल है।

7.6.3.2 वाणिज्यिक नियोजन से अभिप्रेत है किसी एजेंन्सी के तहत वैसा नियोजन जिसमें व्यक्ति जल संसाधनों से संबंधित उद्योग में वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारोबार में लगा हो और इससे कंपनी का निदेशक या फर्म का भागीदार भी शामिल है और इस रूप में या फर्म के भागीदार के रूप में या सलाहकार या एक परामर्शी के रूप में अभ्यास करना भी शामिल है।

8.0 अध्यक्ष या सदस्य को हटाया जाना

8.1 उपधारा (8.2) के उपबंधों के अध्यधीन, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब राज्य सरकार के निर्देश पर सरकार के सचिव स्तर के तीन अधिकारियों के जांच अधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद जांच में कदाचार साबित होता है।

8.2 उपधारा (8.1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार आदेश द्वारा किसी सदस्य को कार्यालय से हटा सकती है यदि उसने धारा 5 में उल्लेखित निरहर्ता का अवलम्बन लिया हो।

8.3 उपधारा (8.2) मेंअन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या सदस्य को धारा 5 के खण्ड (ख) खण्ड (घ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट आधार पर तब तक हटाया नही जा सकता जबतक कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जांच के आधार पर जांच के अधिकारी इस संदर्भ में जांच करने के पश्चात् अपनी जांच रिपोर्ट में सूचना न दें कि सदस्य को उक्त आधार पर हटाया जा सकता है।

8.4 राज्य सरकार यथा स्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करेगी और राज्य सरकार के अंतिम निर्णय को अध्यक्ष या अन्य संबंधित सदस्य को ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर सूचित किया जायेगा।

8.5 जांच के अवधि में उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट वर्णित स्थिति में राज्य सरकार वैसे सदस्य को प्राधिकार से निलंबित कर सकती है।

9.0 अधिकारियों ओर कर्मचारियों को प्राधिकार में प्रतिनियुक्त करने की राज्य सरकार की शक्तियां और उनकी सेवा शर्तें :-

9.1 अध्यक्ष के नियंत्रण के तहत विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों के पालन करने के लिये प्राधिकार एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है।

9.2 प्राधिकार आवश्यक जानकारी नगर विकास एवं आवास विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा जल संसाधन विभाग से प्राप्त कर सकता है।

9.3 अपने दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्राप्त करने हेतु प्राधिकार आवश्यकतानुसार परामर्शियों की नियुक्ति कर सकता है जिनकी शर्तें विनियमों द्वारा निर्धारित होंगी।

9.4 प्राधिकार के सचिव, पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो नियमों द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

9.5 इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्राधिकार में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों की सेवा शर्त्तें उन्हें प्रतिनियुक्ति से पहले दिये गये लाभ से कम लाभ प्रदान ही होंगी तथा उन्हें कम लाभ प्रदान करने के रूप में बदला नहीं जायेगा।

9.6 इस संबंध में प्राधिकार द्वारा किए गए प्रस्ताव पर राज्य सरकार प्राधिकार में प्रतिनियुक्ति पर किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करेगी।

9.7 प्राधिकार के अन्तर्गत किसी भी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष होगी मगर जब वैसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण किसी संदर्भ में यथा-पदोन्नति, वापसी, समाप्ति या सेवानिवृति की वजह से या प्रतिनियुक्ति के किसी अन्य कारण से आवश्यक हो तब, उसकी सेवा राज्य सरकार के अधीन प्रत्यार्पित की जायेगी।

परन्तु ऐसी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान वेतन, छुट्टी, भत्ते, सेवानिवृति, पेंशन, भविष्य निधि और प्रतिनियुक्ति कर्मचारियों की अन्य सेवाशर्तें झारखण्ड सिविल सेवा नियमावली या इस प्रकार के अन्य नियमों, जो राज्य द्वारा समय-समय पर बनाएं जाते हों, के अन्तर्गत विनियमित होंगे।

10.0 प्राधिकार की कार्यवाही

10.1 प्राधिकार राज्य के भीतर ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जो अध्यक्ष को उचित लगता हो और अपनी बैठकों (अपनी बैठकों में गणपूर्ति सहित) में कार्य संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रिया गतनियमों का पालन करेगा जो विनियमों के द्वारा निर्धारित किया जाए।

10.2 अध्यक्ष या यदि वह बैठक में उपस्थित नही हो सकता है तो उसके द्वारा इस निमित्त मनोनीत सदस्य प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

10.3 प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत सभी मामलों का निर्णय उपस्थित सदस्यों के मतों के मतदान एवं बहुमत द्वारा किया जायेगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या अध्यक्षता करनेवाले व्यक्ति को दूसरी या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

10.4 प्राधिकार के सभी निर्णय, निदेश तथा आदेश लिखित रूप में आधारित कारणों के साथ होंगे तथा उसे किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा तथा उसकी प्रतियां प्राधिकार द्वारा निर्धारित रूप मेंउ पलब्ध करायी जायेंगी।

10.5 प्राधिकार अपनी प्रक्रिया को स्वयं विनियमित करेगा।

10.6 प्राधिकार के सभी आदेश और निर्णय प्राधिकार के सचिव या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत रूप में प्रमाणित किया जायेगा।

11.0 रिक्तियां आदि के कारण कोई कार्य या कार्यवाही अवधि मान्य नहीं -प्राधिकार के किसी कार्य या कार्रवाई पर आपत्ति नही की जायेगी या उसे प्राधिकार के गठन में कोई रिक्ति या दोष के आधार पर अविधि मान्य नही किया जाएगा।

अध्याय-III

प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

12.0 प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

12.1. प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

12.1.1 झारखण्ड राज्य के अंतर्गत सभी नगरों में निवास करने वाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के निमित्त सरकार समय-समय पर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए आवश्यक कदम सुनिश्चित कराना।

12.1.2 उपलब्ध भू-गर्भीय जल संसाधनो के स्रोतों के संरक्षण के साथ-साथ सतही जलस्तर को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रयास कराने के निमित्त सरकार को सलाह देना।

12.1.3 भूमि के उपरी भाग पर सतही जलस्तर (Upgradation of surface water) को उपर उठाने हेतु (Rain water Harvesting, water recharge and conservation of Surface water) वर्षा जल को संरक्षण के निमित्त सरकार को सलाह देना एवं मानक तय करना।

12.1.4 जलस्रोतों में जलउन्नयन (water recharge) करना तथा जल के विनियमन के निमित्त सरकार को सलाह देना

12.1.5 शहर के प्रक्षेत्र में आनेवाली नदियों, तालाबों एवं अन्य स्रोतों के जल को पीने लायक रखने हेतु इससे संबंधित या आनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जल प्रबंधन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था हेतु सरकार को सलाह देना।

12.1.6 शहरी क्षेत्र में जल के अपव्यय को रोकने हेतु सलाह देना।

12.1.7 जल संयोजन तथा जलापूर्ति की सेवा के बदले प्राप्त होनेवाले water charges की प्राप्ति को शत-प्रतिशत घरों से वसूल करने के निमित्त सरकार को सलाह देना ताकि यह राज्य के सभी निकायों में लागू हो सके एवं निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए राजस्व को बढ़ाना।

12.1.8 जल प्रबंधन एवं इसके समुचित उपयोग के निमित्त जनजागरूकता आदि का कार्य करना।

12.1.9 समय-समय पर जलदर water charges को लागत एवं सेवा के स्तर के अनुसार संशोधित करते हुए इसके लागू करने में होनेवाले व्यय, भविष्य में सेवा के स्तर को निरन्तर रखने हेतु, सरकार, नगर निकायों एवं आमजनों की राय प्राप्त करते हुए लागू कराने में सहायता करना।

12.1.10 घरेलू जलापूर्ति, उद्योग एवं अन्य व्यवसायों में प्रयुक्त सतही एवं भू-गर्भीय जल के प्रयोग हेतु जलटैरिफ को निर्धारित एवं नियमित करना,

12.1.11 बहुउद्देशीय जल परियोजना के उचित संचालन और रख-रखाव (ओ एवं एम) की लागत का निर्धारण करना

12.1.12 जलापूर्ति क्षेत्र की लागत एवं राजस्व स्रगंहण का समय-समय पर पुनरीक्षण एवं मॉनिटरिंग करना।

12.1.13 जलसंतुलन के लिए कार्य करना।

12.1.14 गैर राजस्व जलापूर्ति को कम करना।

12.1.15 सभी घरों में जल से संबंधित मीटर लगाना सुनिश्चित करना एवं इसके लिए प्रोत्साहित करना।

12.1.16 प्रत्येक वर्ष जल अंकेक्षण कराना तथा जल कीउ पलब्धता सुनिश्चित करना।

12.2 सेवा प्रदानता की गुणवत्ता को प्रणाली परिचालन और रख-रखाव के अभाव से प्रभावित होने से बचाव सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के पूर्ण संचालन व रख-रखाव की निर्धारित आवश्यकताओं के लिए राज्य सरकार को मानक उपलब्ध कराना।

12.3 जल संसाधनों के कुशल उपयोग एवं पानी के अपव्यय को कम करने के लिए बढ़ावा देनाः-

12.3.1 विभिन्न उपयोग कर्त्ताओं/विभागों द्वारा जलापूर्ति के प्रबंधन के लिए गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करना एवं उसकी निगरानी करना और उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना

12.3.2 विभिन्न जलापूर्ति सेवाप्रदाओं द्वारा प्रदान की जानेवाली अनुबद्ध (stipulated) सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों का निर्धारण एवं निगरानी का कार्यान्वयन करना तथा उल्लघंन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करना

12.4 परियोजना प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित जानकारीयुक्त वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन को सुनिश्चित करना:-

12.4.1 जलापूर्ति और उसके वास्तविक उपयोग, जल उपयोग दक्षता एवं उत्पादकता के विवरण सहित पेयजलापूर्ति एवं संरक्षण से संबंधित सभी सांख्यिकीय डाटा को अन्तर्विष्ट करते हुए पेयजलापूर्ति एवं संरक्षण की स्थिति

12.4.2 अन्य परियोजनाओं से प्रतिस्पर्धा के लिए सर्वोतम प्रबंधन /बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं का मानदण्ड निर्धारित करना

12.4.3 जलापूर्ति हेतु परियोजना को व्यवस्थागत और वैज्ञानिक पहचान देने के लिए परियोजनाओं की लेखापरीक्षा

12.5 12.5.1 प्राधिकार निर्धारण के अनुसार उनके सदस्यों को सेवा परिदान सुनिश्चित करने के लिए जल उपभोक्ताओं को वित्तीय प्रोत्साहन / हतोत्साहन हेतु उपयुक्त क्रियाविधि का उपाय करेगाः

12.5.2 इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के निर्वहन में विशिष्ट निर्देशों के अनुपालन नहीं किए जाने पर प्राधिकार, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को उपयुक्त अनुशासनात्मक करने की सिफारिश करेगा।

12.6 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकार के सौंपे गए किसी अन्य शक्ति, कार्य और कर्त्तव्यों का संपादन करना।

अध्याय-IV

खातों की लेखापरीक्षा (अंकेक्षण) एवं प्रतिवेदन

नियामक प्राधिकार की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य

13.0 प्राधिकार का बजट (आय-व्यय का लेखा) -प्राधिकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्रारूप एवं ऐसे समय तक, जैसा की विहित किया जाय, अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट (आय-व्यय का लेखा) तैयार करके सरकार को अग्रसारित करेगा।

14.0 प्राधिकार को अनुदान और अग्रिम-सरकार राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त विधिवत किए गए विनिमय के बाद प्राधिकार को वैसे अनुदान और अग्रिम प्रदान कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन इसे अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन एवं कार्यों के संपादन के लिए आवश्यक समझे, और अनुदान और अग्रिम राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शर्त्तों के अधीन दिया जायेगा।

15.0 प्राधिकार लेखा

15.1 प्राधिकार उचित खातों और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और महालेखाकार के परामर्श से सरकार द्वारा यथा निर्धारित फारम में खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

15.2 प्राधिकार के लेखापरीक्षा महालेखाकार द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जायेगी जो वह विनिर्दिष्ट करे।

15.3 इस अधिनियम के अधीन महालेखाकार और लेखापरीक्षा के संबंध में प्राधिकार के खातों की लेखा परीक्षा के सिलसिले में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को वही अधिकार व विशेषाधिकार होंगे जो आमतौर पर महालेखाकार को सरकारी लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं और विशेष रूप से उसे रजिस्टर, लेखा संबंधित रसीद और अन्य कागजात और कागज की मांग करने तथा प्राधिकार के किसी कार्यालय के निरीक्षण करने का अधिकार भी होगा।

15.4 महालेखाकार या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकार के लेखा तथा परीक्षा प्रतिवेदन को प्राधिकार द्वारा सरकार को वार्षिक रूप से अग्रसारित किया जायेगा।

16.0 प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन

16.1 प्राधिकार प्रत्येक वर्ष में एक बार पिछले वर्ष की गतिविधियों का सारांश देते हुए यथा विहित फारम एवं समय से वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी प्रति सरकार को भेजी जायेगी।

16.2 उपधारा (1) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन/रिपोर्ट की प्रति इसकी के छह महीने के भीतर राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखी जायेगी।

अध्याय-V

विविध

17.0 राज्य सरकार की सामान्य शक्तियां-सरकार को समग्र योजना और समन्वय सहित राज्य सहित राज्य में जल से संबंधित मामलों पर प्राधिकार को नीतिनिर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

18.0 प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी एवं अन्य कर्मचारी का लोक सेवक होना-प्राधिकार के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को, जब वे इस अधिनियम या एतद्धीन बनाए गय नियमों या विनियमों के किसी उपबंध के अनुपालन की कार्रवाई कर रहे हों या उनके द्वारा कार्रवाई करना तात्पर्यित हो तब उन्हें भारतीय दंडसंहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

19.0 सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण -सरकार या प्राधिकार और सरकार के अधिकारी या प्राधिकार के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध किसी ऐसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गय नियमों या विनियमों के अधीन सदभावपूर्वक की गई है या

जिसका सदभावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित है, कोई वाद अभियोजनया अन्य विधिक कार्यवाहीन ही चलायी जाएगी।

20.0 नियम बनाने की शक्ति

20.1 राज्य सरकार पिछले प्रकाशन के शर्त्त के अध्यधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

20.2 इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष, जब वह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरवर्त्ती सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा, और यदि, उस सत्र के अवसान के पूर्व, जिसमें इसे रखा गया है अथवा ठीक अनुवर्ती सत्र में विधान मंडल नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाता है अथवा वह सहमत होता है कि यह नियम नही बनाया जाना चाहिए, और इस आशय का अपना विनिश्चय राजपत्र में अधिसूचित करता है तो राजपत्र में ऐसा विनिश्चय प्रकाशित होने की तारीख से यह नियम यथास्थिति, केवल उपांतरित रूप में प्रभावी होगा अथवा इसका कोई प्रभाव नही होगा तथापि ऐसे किसी उपातंरण या बातिलीकरण से उसनियम के अधीन पूर्व में की गयी या किए जाने से लोप की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

21.0 विवाद समाधान क्रिया विधि-

21.1 अपनी ओर से जारी किए गए आदेश के द्वारा सरकार इस अधिनियम के अधीन निर्धारित जल के वितरण के संबंध में विवादों के समाधान हेतु प्रत्येक परियोजना के लिए किसी भी सक्षम अधिकारी को प्रारम्भिक विवाद समाधान पदाधिकारी के रूप में प्राधिकृत कर सकती है।

21.2 प्राथमिक विवाद समाधान अधिकारी ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो विवादों की सुनवाई के दौरान निर्धारित की जाए।

22.0 विनियमों को बनाने के लिए प्राधिकार की शक्तियां -प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गये विनियमों के साथ सुसंगत कर्त्तव्यों केनिर्वहन के लिए विनियम बना सकता है।

23.0 समस्याओं के समाधान हेतु प्रदत्त शक्तियां

23.1 जनहित से संबंधित नीति के मामले में सरकार प्राधिकार को लिखित रूप में सामान्यया विशेष निर्देश जारी कर सकती है तथा प्राधिकार को ऐसे निर्देशों पर कार्रवाई करना एवं पालन करना बाध्यकारी होगा।

23.2 यदि यह प्रश्न खड़ा हो जाए कि इस प्रकार का दिया गया निर्देश जनहित से संबंधित है अथवा नही तो इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

24. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति -

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में इस अधिनियम में अन्तर्विष्टया तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियम के कारण कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अवसरानुकूल संशोधन, परिवर्द्ध नया विलोपन जिसे करना पड़े वह आवश्यक और समीचीन समझें, आदेश द्वारा निदेशित कर सकती है जो ऐसी अवधि, जो इस आदेश के बाद बारह महीने से अधिकन हों, के दौरान प्रभावी होगा।

उद्देश्य एवं हेतु

झारखण्ड राज्य के अंतर्गत नगरों में निवास करनेवाले आमजनों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध भू-गर्भीय जलसंसाधनो के स्रोतों का संरक्षण, भूमि के उपरी सतह पर (सतही) जल के स्तर को (Rain water harvesting, upgrade/recharge and conservation of Surface water) उपर उठाने हेतु वर्षा के जल का संरक्षण, जलस्रोतों का उन्नयन (Water recharge) तथा जल के विनियमन, जल के पीने और इससे संबंधित या अनुषांगिक अन्य प्रयोजनों के लिए सतत् और वैज्ञानिक जलप्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु तथा इसके प्रभावी एवं समुचित उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए झारखण्ड नगरीय जलसंरक्षण एवं पेयजल नियामक प्राधिकार के गठन की आवश्यकता है।

तदनुसार झारखण्ड नगरीय जलसंरक्षण एवं पेयजलनियामक प्राधिकार विधेयक, 2016 का प्रावधान किया गया है, जिसे प्रख्यापित करना इस विधेयक का अभीष्ठ है।

चंदेश्वर प्रसाद सिंह,
भार साधक सदस्य।

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

23 नवम्बर, 2016 ई०।

संख्या-वि०स०वि०-43/2016- 3538 /वि०स०-- निम्नलिखित विधेयक जो झारखण्ड विधान-सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापति हुआ, झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-68 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

विधेयक के भार साधक सदस्य के नाम के साथ जैसा कि विधेयक के अन्त में दिखलाया गया है और इसके बाद लकीर देकर झारखण्ड विधान-सभा के सचिव के नाम के साथ जैसा संलग्न प्रति में दिया हुआ है। प्रकाशित करें।

अध्यक्ष,झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-27/2016]

झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) विधेयक, 2016

झारखण्ड राज्य में निजी साहूकारी निषेध हेतु निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ -

(i) यह अधिनियम झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषायें :- जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस अधिनियम में -

(क) **"राज्य सरकार"** से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।

(ख) **"बैंक"** से अभिप्रेत है -

(i) बैंकिंग रेगुलेशन ऐक्ट, 1949 में परिभाषित एक बैंकिंग कम्पनी।

(ii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1955 के अधीन गठित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(iii) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सबसीडियरी बैंक्स) ऐक्ट 1959 के धारा-2 के K में परिभाषित एक सबसीडियरी बैंक।

(iv) बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन ऐंड ट्रांसफर ऑफ अंडर टेकिंग्स) ऐक्ट, 1970 (ऐक्ट 5, 1970) के अधीन गठित नया बैंक।

(v) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 2 के खंड (सी-iv) में परिभाषित एक प्राथमिक साख समिति।

(vi) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 2 के खंड (बी-ii) में परिभाषित एक सहकारी बैंक।

(vii) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1934 के अधीन गठित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।

(viii) एग्रिकल्चर रिफिनान्स ऐंड डेवलमेंट कारपोरेशन ऐक्ट, 1963 के अधीन गठित एग्रिकल्चर रिफिनान्स कारपोरेशन।

(ix) लाईफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन ऐक्ट, 1956 के अधीन गठित लाइफ इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया।

(x) यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया।

(xi) जरनल इन्श्योरेंन्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया।

(xii) रिजिनल रूरल बैंक अधिनियम, 1976 (सेंट्रल ऐक्ट 21, 1976) के अंतर्गत रिजिनल रूरल बैंक।

(xiii) बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन ऐंड ट्रांसफर ऑफ अंडर टेकिंग्स) ऐक्ट, 1980 (सेन्ट्रल ऐक्ट 40, 1980) के अंतर्गत गठित कॉरेस्पोंडिंग नया बैंक।

(xiv) इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1964 (सेंट्रल ऐक्ट 18, 1964) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।

(xv) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट ऐक्ट, 1981 (सेंट्रल ऐक्ट 61, 1981) के अंतर्गत गठित नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट।

(xvi) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1981 (सेंट्रल ऐक्ट 11, 1959) के अंतर्गत गठित एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ।

(xvii) इंडस्ट्रियल फाईनान्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1948 (सेन्ट्रल ऐक्ट 15, 1948) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल फाईनान्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।

(xviii) स्टेट फाईनान्सियल कॉरपोरेशन ऐक्ट, 1951 (सेन्ट्रल ऐक्ट 63, 1951) के अंतर्गत गठित स्टेट फाईनान्सियल कॉरपोरेशन।

(xix) इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्सन बैंक ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1984 (सेन्ट्रल ऐक्ट 62, 1984) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्सन बैंक ऑफ इंडिया।

(xx) इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (सेन्ट्रल ऐक्ट 7, 1913) के अंतर्गत गठित इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इंभेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।

(xxi) इंडियन कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अंतर्गत गठित एग्रीकल्चरल फाईनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड।

(ग) **"उधार"** से अभिप्रेत है किसी साहूकार द्वारा ब्याज पर दिया गया कोई उधार, चाहे वह नगद के रूप में दिया गया हो या वस्तु के रूप में और इसके अन्तर्गत मन, ड्योढा, सवैया, रेहन, बन्धकी, पौनी, सूद भरना, किस्ती तथा किसी विगत दायित्व के सम्बन्ध में निष्पादित किसी ब्याज प्रदायबंधपत्र पर किया गया कोई ऐसा संव्यवहार है, जो सारतः उधार हो, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं होंगे :-

(क) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार या केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिया गया उधार।

(ख) किसी डाकघर बचत बैंक में धन का निक्षेप अथवा किसी अन्य बैंक या किसी कम्पनी में अथवा बिहार और उड़ीसा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जानेवाली किसी सहकारी सोसाइटी में धन या किसी अन्य संपत्ति का निक्षेप के आलोक में ऋण या अग्रिम,

(ग) इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत निबंधित पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग या प्राईवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया ऋण।

(घ) भविष्य निधि खाते में जमा निधि से ग्राहक या जमाकर्ता को नियमानुसार दिया गया अग्रिम।

(ङ) इंश्योरेंस ऐक्ट, 1938 (सेंट्रल ऐक्ट iv 1938) के अंतर्गत इंस्योरेंस कम्पनी द्वारा दिया गया ऋण।

(च) बैंक द्वारा दिया गया ऋण।

(घ) **"निजी साहूकार"** से अभिप्रेत है उधार देनेवाला व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह और इसके अन्तर्गत अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब तथा विरासत या समनुदेशन द्वारा या अन्यथा वैध प्रतिनिधि और हित उत्तराधिकारी भी है, किन्तु इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा बैंक या वित्त निगम या सहकारी समिति के रूप में निगमित कोई कॉरपोरेशन एवं निबंधित वित्तीय संस्थान नहीं होगा।

(ङ) **"ब्याज"** से अभिप्रेत है ब्याज की दर और इसके अन्तर्गत वस्तुतः उधार दिए गए धन के अतिरिक्त वापस की जानेवाली रकम भी है, चाहे वह ब्याज के रूप में या अन्यथा विनिर्दिष्ट रूप से प्रभारित की जाय या वसूल की जानेवाली हो,

(च) **"साहूकारी का व्यवसाय"** से अभिप्रेत है नगद या वस्तु के रूप में अग्रिम ऋण का व्यवसाय।

3. **इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऋण की छूट** - राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी कारण विशेष या एक से अधिक कारणों, जो अधिसूचना में उल्लेखित होगा, किसी प्रकार के ऋण को सम्पूर्ण झारखंड राज्य में इस अधिनियम के सभी अथवा किसी एक प्रावधान के अंतर्गत छूट दे सकती है ।

4. **साहूकारी का निषेध** - कोई व्यक्ति नगद या वस्तु के रूप में यूसूफ्रक्चुवरी भोग बन्धक या स्वर्ण, आभुषण या कोई अन्य सामग्री का प्रतिज्ञा से संबन्धित साहूकारी का व्यवसाय नहीं करेगा।

5. सजा -

(i) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा (4) का उल्लंघन कर साहूकारी का व्यवसाय करेगा तो उसे तीन वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रूपये तक का अर्थ दण्ड की सजा देय होगा।

(ii) यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत सजा प्राप्त है एवं दोबारा दोषसिद्धि किया जाता है तो उसे पांच वर्ष तक का कारावास एवं दस हजार रूपये का आर्थिक दण्ड देय होगा।

6. अपराध का संज्ञान -

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2, 1974) के प्रावधानों के बावजूद।

(क) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय विचारण नहीं करेगा।

(ख) कोई न्यायालय निम्नलिखित के अतिरिक्त संज्ञान नहीं लेगा -

(i) उन तथ्यों का, जिनसे अपराध बनता है, पुलिस रिपोर्ट पर

(ii) उन तथ्यों का, जिनसे अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर

(2) इस अधिनियम की धारा (4) के अंतर्गत किया गया अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अशमनीय होगा।

7. नियम बनाने की शक्ति - इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली गठित कर सकती है।

8. निरसन - झारखण्ड साहूकार अधिनियम, 1974 (अधिनियम सं०-22, 1975) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

9. व्यावृत्ति - झारखण्ड साहूकार अधिनियम, 1974 के निरसन होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अंतर्गत किये गये सभी कार्य, कृत कार्रवाई, दायित्व एवं देनदारियाँ, नियुक्त या प्राधिकृत व्यक्ति, प्रदत्त क्षेत्राधिकार या शक्तियाँ, निर्गत आदेश एवं अधिनियम से संबंधित गठित नियम या विनियम जारी रहेंगे एवं उसका निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

उक्त निरसन के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर किसी न्यायालय एवं अन्य प्राधिकार के समक्ष लंबित सभी सूट या अन्य कार्यवाहियाँ जारी रहेंगे एवं उसका निष्पादन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

बशर्ते कि सूट एवं अन्य कार्यवाहियाँ के संदर्भ में उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपील एवं रिविजन से संबंधित प्रावधान जारी रहेंगे, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

पुनः बशर्ते कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत किये गये भोग बंधक या प्रतिज्ञा जारी रहेंगे एवं उसका निराकरण तथा छुड़ाना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत होगा, मानों उक्त अधिनियम प्रवृत्त था एवं यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

झारखण्ड के लोगों को निजी साहुकारों के शोषण से बचाने हेतु झारखण्ड निजी साहूकारी (निषेध अधिनियम) 2016 बनाया जा रहा है।

अमर कुमार बाउरी,
भारसाधक सदस्य

बिनय कुमार सिंह,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची |

|

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

16 नवम्बर, 2016

संख्या- 3/विविध-07-47/2014 का॰ 9641-- श्री चन्द्रशेखर सिंह, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-176/03), सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध दर्ज थाना कांड संख्या- 48/92 एवं स्पेशल वाद संख्या-25/92 में दिनांक 30 मार्च, 2013 को माननीय विशेष न्यायाधीश (निगरानी), पटना द्वारा पारित न्यायादेश ''सश्रम कारावास एवं आर्थिक दण्ड की सजा'' के आलोक में विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के परामर्शोपरांत श्री सिंह को विभागीय अधिसूचनाओं द्वारा प्रदान की गई निम्नवत् औपबंधिक प्रथम, द्वितीय ए.सी.पी. एवं तृतीय एम.ए.सी.पी. को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43बी के तहत रद्द किया जाता है:-

क्र०	विभागीय अधिसूचना			प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान 10,000 से 15,200)	द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान 12,000 से 16,500)	तृतीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान पी.बी.IV 37,400 - 67,000 ग्रेड पे 8700)
	संख्या	**तिथि**	**क्र.सं.**			
1	1938	01.04.08	2	09.08.99	14.06.02	——
2	418	15.01.13	4	———	———	01.09.08

2. उक्त विभागीय अधिसूचना सं०- 1938 दिनांक 1 अप्रैल, 2008 की क्रम सं०- 2 एवं 418 दिनांक 15 जनवरी, 2013 की क्रम सं०- 4 को छोड़कर शेष अंश यथावत रहेंगे ।

3. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2016

संख्या-4/अवकाश-05-03/2016 का॰ 9834-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मो० शफीक आलम, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हैदरनगर, पलामू के द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2016 से 27 जुलाई, 2016 तक उपभोग किये गये अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 नवम्बर, 2016

संख्या-3/नि0सं0-09-35/2014 का॰ 9909-- श्री प्रदीप प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-664/03), भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, खूँटी को दिनांक 19 अक्टूबर, 2014 से 20 अक्टूबर, 2014 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2016

संख्या-13/वरीय नि० सं०-45/2014 का०-10093-- श्री प्रवीण कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, लातेहार को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रू० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) की वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री सिन्हा की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 27 सितम्बर, 2012 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2016

संख्या- 13/न्या० नि० सं०-39/2014 का० 10094-- सुश्री दिव्या मिश्रा, अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, कोडरमा जो न्यायिक सेवा में चयन के समय एल०एल०एम० की उपाधि धारण करते थे, को विभागीय अधिसूचना सं० 4328 दिनांक 24 मई, 2016 के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के साथ नियुक्ति की तिथि 26 अप्रैल, 2011 के बाद पड़ने वाली पहली जुलाई अर्थात् 1 जुलाई, 2011 के प्रभाव से 3 अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-

i. उक्त वेतनवृद्धि पर कोई अन्य भत्ता देय नहीं होगा ।

ii. यह राशि पूरे सेवाकाल में स्थिर रहेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखौरी शशांक सिन्हा,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

26 नवम्बर, 2016

संख्या-3/नि०सं०-12-36/2016 का॰ 11014-- झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग के संकल्प सं०- 551 दिनांक 1 मार्च, 2007 तथा 907 दिनांक 1 जुलाई, 2010 के आलोक में श्रीमती प्रीति किस्कू (झा०प्र०से०), प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बगोदर, गिरिडीह द्वारा उपभोग किये गये दिनांक 6 जुलाई, 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तक मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

9 दिसम्बर, 2016

संख्या-9/आरोप-राँची-99/2016-6346/रा.,-- श्री गुलाब चंद राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, शहर अंचल, राँची (सम्प्रति से.नि.सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व) जब अंचल निरीक्षक, शहर अंचल, राँची के पद पर पदस्थापित थे तो उक्त पदस्थापन अवधि में हुई भूमि घोटाले से संबंधित परिवाद सं०-08 के प्रसंग में बिना गहन छानबीन किये नियम के विरूद्ध नामांतरण हेतु अनुशंसा किये जाने संबंधी आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-55 के तहत् विभागीय संकल्प सं०-1213/रा०, दिनांक 30 मार्च, 2007 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया जिसे श्री राम के सेवा निवृत्ति के उपरांत विभागीय अधिसूचना सं०-927/रा०, दिनांक 21 मार्च, 2012 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत परिवर्तित किया गया । श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाया गया, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-1272/रा०, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-139(ख) के तहत श्री राम के पेंशन से 50% की राशि 5 (पाँच) वर्षों तक कटौती करने का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

W.P. (S) No. 3798 of 2013, गुलाब चंद राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा बिहार सरकार एवं अन्य बनाम मो० इदरिश अंसारी एवं राम पुनीत कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का उद्धरण देते हुए विभागीय अधिसूचना सं०-1272/रा०, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को निरस्त कर दिया गया है ।

माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के उक्त न्यायादेश के आलोक में मामले की पुनः समीक्षा की गई एवं गहन विमर्श के उपरांत W.P. (S) No. 3798/2013 गुलाब चंद राम बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-1272/रा०, दिनांक 13 अप्रैल, 2012 को निरस्त किया जाता है एवं एतद्

द्वारा श्री गुलाब चंद राम, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, शहर अंचल, राँची (सम्प्रति से० नि० सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व) के पेंशन से 50% की राशि 5 (पाँच) वर्षों तक कटौती के आदेश को वापस लिया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना
13 दिसम्बर, 2016

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010-6353/रा.,-- श्री प्रभात कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बरही को अतिरिक्त जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के प्रभार से मुक्त करते हुए श्री मिथलेश झा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, हजारीबाग के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparecy in land Acquisition Rehabilitation and Resetllement Act-2013")** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

13 दिसम्बर, 2016

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010-6354/रा.,-- श्री चंद्रजीत सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी, धनबाद को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to Fiar Compensation and Transparency in Land Acqisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013")** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

13 दिसम्बर, 2016

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010-6355/रा.,-- श्री राकेश कुमार दुबे, अपर समाहर्त्ता (विधि व्यवस्था) धनबाद को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparecy in land Acquisition Rehabilitation and Resetllement Act-2013")** की धारा **3(g)**

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना
13 दिसम्बर, 2016

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010.6356/रा.,-- श्री राजीव रंजन, कार्यपालक दंडाधिकारी, गिरिडीह को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparecy in land Acquisition Rehabilitation and Resetllement Act-2013")** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

13 दिसम्बर, 2016

संख्या-2/राज.स्था.-32/2010-6357/रा.,-- श्री यशवंत नायक, अंचल अधिकारी, पीरटांड को उनके कार्यों के अलावे, अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, **2013 ("The Right to fair compensation and transparecy in land Acquisition Rehabilitation and Resetllement Act-2013")** की धारा **3(g)** के तहत समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्त्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

अधिसूचना

14 दिसम्बर, 2016

संख्या-2/रा०,स्था०-18/10-6372/रा,-- सुश्री आकांक्षा रंजन, भा०प्र०से०, अनुमण्डल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार टेनेन्ट्स होल्डिंग्स (मेनटेनेन्स ऑफ रेकार्डस) एक्ट 1973 की धारा-15 के अन्तर्गत दाखिल-खारिज अपील वादों के निष्पादन हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू, राँची की शक्ति प्रदत्त की जाती है ।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्त्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे ।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए अथवा नियमित पदाधिकारी के पदस्थापन एवं प्रभार-ग्रहण तक (जो भी पहले हो) के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 1–50 ।